2023, अंक - 02

त्रिवेणी प्रवाह

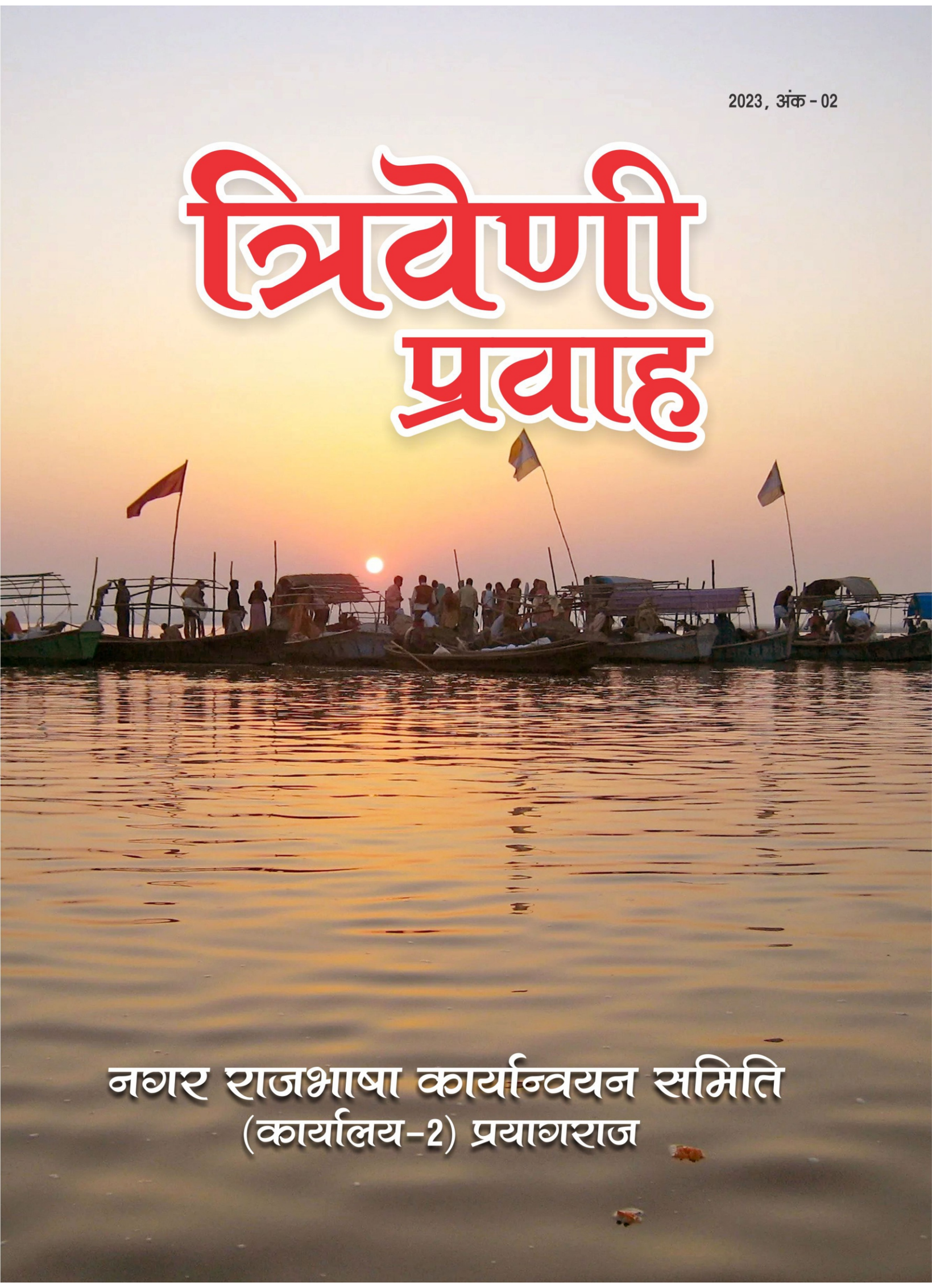

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
(कार्यालय-2) प्रयागराज

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद एवं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद का राजभाषा निरीक्षण दिनांक 03 जनवरी, 2023

संपादक मंडल

संरक्षक

प्रो0 रमा शंकर वर्मा

निदेशक, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
एवं अध्यक्ष, नराकास (कार्या0–2), प्रयागराज

प्रधान संपादक

डॉ. रमेश पाण्डेय

कुलसचिव, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
एवं सदस्य सचिव, नराकास (कार्या0–2), प्रयागराज

संपादक

श्री आरिफ हुसैन रिजवी, उप निदेशक
केन्द्रीय संचार ब्यूरो, फील्ड कार्यालय

श्री राजीव कुमार तिवारी, प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट, प्रयागराज

श्री उत्तम सिंह, क्षेत्रीय निदेशक
दन्तोपंत ठेगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड प्रयागराज

श्री रविन्दर कुमार, क्षेत्रीय निदेशक
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, प्रयागराज

श्री गोविन्द दुबे, प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय सीआरपीएफ, फाफामऊ

डॉ. अरूण कुमार सिंह, प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय इफको फूलपुर, प्रयागराज

श्री राम नरेश तिवारी
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी, सहायक कुलसचिव
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद

श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र, हिन्दी अधिकारी
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं एवं लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण रचनाकारों के अपने हैं, जिसके लिए संपादक मंडल उत्तरदायी नहीं है।

अनुक्रमणिका

- उप निदेशक (कार्यान्वयन), गाजियाबाद का संदेश
- निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय का संदेश
- कुलसचिव एवं सदस्य सचिव का संदेश

क्र.सं.	शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ सं.
1.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान : एक परिचय		6
2.	भारतीय संस्थानों में ध्येय वाक्यों के रूप में सुभाषितों की भूमिका	सत्यजीत कुमार	10
3.	विनम्रता	डॉ. नीरज कुमार	11
4.	रेज़ा	रजनी मुखर्जी	12
5.	डिजिटल भारत अभियान में हिन्दी की भूमिका	शैलेश अवस्थी	13
6.	इक्कीसवीं सदी के लोकवृत्त में गांधी और उनका अर्थदर्शन	डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह	14
7.	स्वयं की अनुभूति	राममूर्ति सरोज	19
8.	दुनिया में भारत की बढ़ती साख	आशुतोष कुमार	20
9.	आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हिन्दी की स्थिति एवं विचार	नवीन कुमार श्रीवास्तव	21
10.	राजभाषा हिन्दी के समक्ष चुनौतियां	रामविलास द्विवेदी	22
11.	आतंकवाद – कारण एवं निवारण	शैलेश अवस्थी	24
12.	होम्योपैथी का विकास एवं भारत में वर्तमान स्थिति	हरिओम कुमार	26
13.	विद्युत ऊर्जा बचाने के कुछ सरल उपाय	अजय कुमार श्रीवास्तव	30
14.	भारतीय ज्ञान परम्परा और भारतीय भाषाएँ	विकास कुमार सोनी	33
15.	हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023–24 का वार्षिक कार्यक्रम		35

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र-2)

-- x--

302, सी.जी.ओ.भवन-1, कमला नेहरू नगर

गाजियाबाद-201002 दूरभाष/फैक्स-0120-2719356

ई-मेल-ddriogzb-dol@nic.in एवं rionorthgzb@gmail.com

फा.सं.-क्षे.का.का.उ/पत्रिका-संदेश/577 दिनांक - 01/03/2023

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, प्रयागराज (कार्यालय-2) संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु निरंतर सराहनीय प्रयास कर रही है। इसी क्रम में नराकास प्रयागराज (कार्यालय-2) अपनी गृह पत्रिका **'त्रिवेणी प्रवाह'** के द्वितीय अंक का प्रकाशन करने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि **'त्रिवेणी प्रवाह'** का यह अंक भी पूर्व की भाँति संग्रहणीय होने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। पत्रिका प्रकाशन से जुड़े सभी कार्मिकों, रचनाकारों एवं संपादक मण्डल को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

(छबिल कुमार मेहेर)

उप निदेशक (कार्यान्वयन)

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
प्रयागराज–211004 (उ0प्र0) भारत
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad
Prayagraj-211004 (U.P.) India

निदेशक
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
एवं
अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
(कार्यालय-02), प्रयागराज

अध्यक्ष की कलम से...

नराकास (कार्या.-02) प्रयागराज की गृह प्रत्रिका **'त्रिवेणी प्रवाह'** के द्वितीय अंक के माध्यम से आप सभी को एक बार पुनः संबोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह हम सभी के लिए एक ऐसा मंच है जहां राजभाषा कार्यान्वयन में किए जा रहे नवीन एवं अनुकरणीय प्रयासों को शामिल किया जाता है।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति ने दिनांक 03-04 जनवरी, 2023 को संस्थान सहित नराकास (कार्या.-02) प्रयागराज के कई कार्यालयों में संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन किया तथा उक्त कार्यालयों में हिंदी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन में गति लाने के लिए बहुमूल्य सुझाव भी दिए। संस्थान सहित सभी कार्यालय दिए गए सुझावों को अमल में लाने के लिए कटिबद्ध है।

राष्ट्रीय एकता, पारस्परिक सद्भाव और सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाने में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे देश में हिंदी ही ऐसी भाषा है जो राष्ट्रीय एकता की भूमिका निभा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने हिन्दी की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा था ''राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है''।

यह हर्ष का विषय है कि नराकास के कार्मिको की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से **'त्रिवेणी प्रवाह'** पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। नराकास के अधिकाधिक कार्मिकों में रचनात्मकता और मौलिक लेखन को बढ़ावा देने तथा उनकी सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने में इस पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अंत में **'त्रिवेणी प्रवाह'** के द्वितीय अंक के सफल प्रकाशन के लिए संपादक मंडल, सभी सदस्य कार्यालय तथा पत्रिका में प्रकाशित लेखों के लिए सभी रचनाकारों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि संकलित विविधतापूर्ण सामग्री हिंदी के प्रचार-प्रसार को नया आयाम प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगी।

शुभकामनाओं सहित।

(प्रो.रमा शंकर वर्मा)

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
प्रयागराज–211004 (उ0प्र0) भारत
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad
Prayagraj-211004 (U.P.) India

कुलसचिव, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
इलाहाबाद,प्रयागराज
एवं
सदस्य सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
(कार्यालय-02), प्रयागराज

संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय-02) प्रयागराज की गृह पत्रिका ''त्रिवेणी प्रवाह'' का द्वितीय अंक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। पत्रिका के इस अंक के माध्यम से अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।

सर्वप्रथम संपादक मण्डल एवं उन सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी बहुमूल्य रचनाएँ एवं विचार भेजकर इस पत्रिका के समय से प्रकाशन के लिए सहयोग दिया। आप सभी के सहयोग से हमने इस पत्रिका को रोचक और रचनात्मक बनाने की पूरी कोशिश की है और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह आप सभी को जरूर पसंद आएगी। इसके साथ ही हमें पूरी आशा है कि हमारी पत्रिका को और अधिक सारगर्भित एवं उपयोगी बनाने में आप सभी आगे भी इसी प्रकार सहयोग देते रहेंगे।

मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि नराकास (कार्यालय-02) प्रयागराज, राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य रहा है और निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। नगर स्तरीय संयुक्त हिन्दी कार्यशाला का आयोजन, संस्थान एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली के सौजन्य से नराकास स्तर पर 05 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण का आयोजन आदि कार्य इसी दिशा में हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें आप सभी का सहयोग सराहनीय रहा है।

भविष्य में भी हमारा यह प्रयास जारी रहेगा, जिसमें हमें सभी सदस्य कार्यालयों के सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग की आवश्यकता होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भविष्य में भी राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और नराकास (कार्यालय-02) प्रयागराज के कार्यों में इसी प्रकार अपना सहयोग एवं योगदान देते रहेंगे और राजभाषा के क्षेत्र में अपनी नराकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

हमें यकीन है कि पत्रिका के इस अंक को भी आप उपयोगी पाएंगे। आपके सुझावों की हमें बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी जिससे पत्रिका के आगामी अंक को हम और अधिक तथ्यपरक एवं रूचिकर बना सकें।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

रमेश पाण्डेय

(डॉ. रमेश पाण्डेय)

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज – एक परिचय

प्रासंगिक पृष्ठभूमि – मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद (पूर्ववर्ती–मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज) की स्थापना 1960 में 17 अन्य क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ की गई। वर्ष 2000 तक संस्थान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इसके अभियांत्रिकी विभाग के रूप में सम्बद्ध रहा। वर्ष 2002 में इस कॉलेज को मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद नाम दिया गया और इसकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था केन्द्र सरकार के माध्यम से होने लगी। वर्ष 2007 में इस संस्थान को संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। वर्ष 2020–21 में इस संस्थान ने 60 गौरवशाली वर्ष पूरे किये।

संस्थान की आधारशिला देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 03 मई, 1961 में रखी गयी और कॉलेज भवन का उदघाटन इस धरती के ओजस्वी सपूत एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 18 अप्रैल 1965 में किया गया।

वर्ष 1961 में 100 छात्रों का पहला बैच तीन बैचलर आफ इंजीनियरिंग (बी.ई.) कार्यक्रमों (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) के लिए शुरू हुआ। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एम.ई.) की शुरुआत 1967 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दो कार्यक्रमों एवं 1971 में सिविल इंजीनियरिंग के तीन कार्यक्रमों से प्रारम्भ की गई। संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग को 1973 में (एम.ई.) के लिए तथा 1975 में पीएच.डी. के लिए एआईसीटीई के गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। वर्ष 1975 में पहली पी.एच.डी. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रदान की गई। 1976–77 में कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग और 1982–83 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग तथा उत्पादन एवं औद्योगिकी इंजीनियरिंग तीन बी.ई. कार्यक्रम जोड़े गये। संस्थान में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में परास्नातक की शुरूआत 1986 में हुई। संस्थान में 1996 में स्कूल ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज विभाग की स्थापना हुई जो प्रबंधन में दो–वर्षीय परास्नातक उपाधि (एम.बी.ए.) प्रदान कर रहा है।

वर्तमान में इस संस्थान में इन्जीनियरिंग के सभी पाठ्यक्रमों, साइन्सेस, मानविकी एवं सोशल साइंसेस और प्रबन्धन में 08 स्नातक (बी.टेक.), 28 परास्नातक (एम.टेक., एम.सी.ए., एम. बी.ए. और एम.एससी.) तथा सभी पाठ्यक्रमों में डॉक्टोरल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 14 शैक्षणिक विभागों/स्कूलों/प्रकोष्ठों में लगभग 4500 स्नातक, 1300 परास्नातक एवं 650 डाक्टोरल छात्र हैं। छात्र भारत के सभी राज्यों से एवं कई दूसरे देशों जैसे–सार्क और मध्य पूर्व एशिया, यूरोप, एवं अफ्रीका जैसे अन्य देशों से आते हैं।

संस्थान की बुनियादी सुविधाएं देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के स्तर की है। कम्प्यूटर केन्द्र में स्टेट ऑफ आर्ट कम्प्यूटिंग सुविधाएं हैं। विभागों में आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं और पुस्तकालय में पठन–पाठन सामग्री की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। पुस्तकालय लिब्सिस–10 के माध्यम से पूर्ण रूप से स्वचालित है, जिसमें पुस्तकों के आदान–प्रदान के लिए आरएफआईडी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। पुस्तकालय में विश्वस्तरीय प्रकाशकों की 20 हजार से अधिक ई–बुक्स एवं 14 हजार से अधिक ऑनलाइन जर्नल्स हैं। शोध संदर्भ के लिए ई–शोध गंगा पोर्टल पर शोध ग्रंथ उपलब्ध है। ई–शोध सिंधु द्वारा कम दरों पर शोध ग्रंथ सूची एवं पूर्ण शोध से संबंधित तथ्यात्मक डेटा–बेस जानकारी ली जा रही है। अधिकतर शैक्षणिक कक्ष वातानुकूलित होने के साथ ही मल्टीमीडिया शैक्षणिक उपकरणों से सुसज्जित है। छात्रावास, अधिशासी विकास केन्द्र और आवासीय परिसर सहित सम्पूर्ण परिसर 1.00 जीबीपीएस इंटरनेट कनेक्टिविटी से सुसज्जित है।

स्थान – प्रयागराज शहर तीन नदियों, गंगा, यमुना एवं पौराणिक सरस्वती के संगम–स्थल पर अवस्थित है तथा यह शहर अपने शैक्षणिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। आर्यों ने पहले यहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किए, तब इसे

प्रयाग कहा जाता था। कालान्तर में यह ऐश्वर्यवान गुप्तवंश की राजधानी बनी। सन् 1583 में सम्राट अकबर ने संगम के किनारे किला बनवाया, जहाँ 232 ई.पू. निर्मित 11 मीटर ऊँचा अशोक स्तम्भ स्थित है। 20वीं सदी में यह शहर स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य केन्द्र बना। वर्तमान समय में यहां पर कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान विश्वविद्यालय स्थित हैं। संस्थान से प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से 9 किमी., प्रयाग रेलवे स्टेशन की दूरी 4 किमी. तथा बमरौली हवाई अड्डा 16 किमी. की दूरी पर स्थित है।

परिसर – यह संस्थान लखनऊ–प्रयागराज राजमार्ग पर गंगा के किनारे 222 एकड़ के क्षेत्रफल में तेलियरगंज में बसा हुआ है। शैक्षणिक परिसर, छात्रावास परिसर एवं आवासीय परिसर अलग–अलग परिसर में होते हुए भी एक–दूसरे से सुविधानुरूप जुड़े हुए है। संस्थान परिसर पूर्ण रूप से हरा–भरा, प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण से युक्त है। परिसर में उच्चतम स्तर के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए एक शान्त एवं अनुकूल वातावरण विद्यमान रहता है।

प्रशासन – प्रशासनिक संरचना के शीर्ष पर प्रशासकीय परिषद है। निदेशक यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक एवं कार्यपालक अधिकारी हैं जोकि संस्थान के समुचित प्रशासन चलाने तथा यहाँ पर निर्देश जारी करने एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। दैनिक कार्यों में अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्ष, विभिन्न कार्यों हेतु संकाय प्रभारी, कुलसचिव, अन्य अधिकारीगण एवं विभिन्न समितियाँ निदेशक की सहायता करते हैं।

प्रवेश प्रक्रिया – **बी.टेक.** कार्यक्रमों में जे.ई.ई. (मुख्य परीक्षा) के आधार पर प्रवेश लिया जाता है जबकि **एम.टेक.** कार्यक्रमों में जी.ए.टी.ई.(गेट) स्कोर के आधार पर, **एम.बी.ए.** कार्यक्रम में प्रवेश कैट, सी–मैट, मैट, एटीएमए, जीमैट और जैट के स्कोर, ग्रुप डिस्कशन एवं साक्षात्कार के आधार पर तथा **एम.सी.ए.** कार्यक्रम में प्रवेश एनआईटी एम.सी.ए. कामन इंट्रेन्स टेस्ट (निमसेट) द्वारा लिया जाता है। **एम.एस. सी. (गणित एवं वैज्ञानिक कम्प्यूटिंग)** कार्यक्रम में एन. आई.टी. द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एम.एस.सी. (जेएएम) के रैंक के आधार पर प्रवेश लिया जाता है। साथ ही **पी.एचडी.** कार्यक्रम में संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के अंकों एवं इसके बाद साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश लिया जाता है।

छात्रावास – यह संस्थान, पूर्णतया आवासीय संस्थान है। वर्तमान में यहाँ बालकों के आठ छात्रावास – स्वामी विवेकानन्द छात्रावास, पुरुषोत्तमदास टण्डन छात्रावास, पं. मदन मोहन मालवीय छात्रावास, बाल गंगाधर तिलक छात्रावास, सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास, रवीन्द्र नाथ टैगोर छात्रावास, सर सी.वी. रमण छात्रावास एवं स्नातकोत्तर छात्रावास तथा बालिकाओं के लिए तीन छात्रावास– सरोजिनी नायडू महिला छात्रावास, कमला नेहरू महिला छात्रावास एवं डायमंड जुबली छात्रावास हैं। पीएच.डी. एवं अंतर्राष्ट्रीय स्नातकोत्तर छात्रों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास है। बालकों के लिए 1200 क्षमता का नवनिर्मित "न्यू ब्वायज हास्टल" भी अपने मूर्तरूप में आ चुका है।

छात्र क्रियाकलाप केन्द्र – मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद अपनी शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। संस्थानमें पाठयक्रम के साथ–साथ अतिरिक्त पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में भी उपलब्धियां दर्ज हैं। छात्र क्रियाकलाप केन्द्र के अन्तर्गत बहु–उद्देशीय हाल, खेल का मैदान और जिमखाना हैं।

व्यायामशाला – व्यायामशाला छात्रों द्वारा संचालित एक संगठन है, जो कि नेतृत्व कौशल को विकसित करने में योगदान करता है। विभिन्न प्रकार के खेलकूद की सुविधा जिमखाना द्वारा छात्रों को आउट डोर खेल जैसे–शारीरिक खेल–कूद, क्रिकेट, फुटबॉल, बाली–बाल, हॉकी, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, ताइकॉन्डो, कबड्डी, खो–खो, योग/स्केटिंग, कराटे आदि सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। इनडोर खेलों में बैडमिंटन, टेबिल टेनिस, कैरम, शतरंज जैसे खेलों के लिए सम्पूर्ण सुविधाओं का प्रावधान है।

संस्थान स्तर वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए राजभाषा संबंधी कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1. संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक का आयोजन क्रमशः दिनांक 30.06.2022, 20.09.2022, 20.12.2022 एवं 21.03.2023 को किया गया तथा समय से उसका कार्यवृत्त जारी करते हुए बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

2. संस्थान की प्रत्येक तिमाही की समेकित हिन्दी प्रगति रिपोर्ट, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी गई तथा समेकित आंकड़े, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर प्रमाणपत्र सहित अपलोड किए गए।

3. संस्थान में राजभाषा नीति की जानकारी सभी कार्मिकों को प्रदान करने एवं राजभाषा में कार्य के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के उद्देश्य से प्रत्येक तिमाही में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 31.05.2022, 19.09.2022, 27.12.2022, एवं 23.03.2023 को किया गया।

4. संस्थान में हिंदी पखवाड़े का आयोजन दिनांक 14.09.2022 से 28.09.2022 तक किया गया जिसके अन्तर्गत हिंदी काव्य पाठ, हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, हिंदी प्रश्नोत्तरी एवं प्रशासनिक शब्दावली, हिंदी टंकण एवं हिंदी सुलेख प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

5. संस्थान एवं भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 30.10.2022 को 'एक दिवसीय प्रकाशक संगोष्ठी' का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में तकनीकी, व्यावसायिक एवं विधि शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन पर विचार–विमर्श किया गया जिसमें कुल 44 लेखक, प्रकाशक, अधिवक्ता व अन्य गणमान्य व्यक्तिओं ने सहभागिता की। इस संगोष्ठी के माध्यम से, भारतीय भाषाओं में तकनीकी पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक सार्थक पहल की गई।

6. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के आदेश के अनुपालन में संस्थान में दिनांक 11.12.2022 को भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव के दौरान कुल 5 प्रतियोगिताएं यथा पोस्टर/स्लोगन प्रदर्शन प्रतियोगिता, भारतीय भाषा स्टॉल प्रतियोगिता, परम्परागत परिधान प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ ही साथ 'मेरी भाषा, मेरा हस्ताक्षर' अभियान भी चलाया गया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार/प्रमाण–पत्र देकर सम्मानित किया गया।

7. हिंदी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत कार्मिकों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से वर्ष 2022–23 के दौरान हिंदी में किए जा रहे कार्य का विवरण निर्धारित प्रारूप में तैयार करने हेतु परिपत्र जारी किया गया। इस योजनान्तर्गत दावे प्राप्त होते ही पुरस्कार के निर्धारण पर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

8. संस्थान के केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में दिनांक 13–14 सितम्बर, 2022 को हिन्दी पुस्तक मेले का आयोजन किया गया जिसमें सभी संकाय सदस्यों, कार्मिकों एवं विद्यार्थियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। निश्चय ही इससे राजभाषा के प्रति अनुकूल माहौल बना।

न.रा.का.स. (कार्या.-2) स्तर पर किए गए राजभाषा संबंधी कार्यों का संक्षिप्त विवरण

ज्ञातव्य है कि यह संस्थान न.रा.का.स. (कार्या.–2), प्रयागराज का अध्यक्ष कार्यालय भी है। इस समिति में कुल 35 सदस्य कार्यालय हैं। वर्ष के दौरान नराकास स्तर पर किए गए उल्लेखनीय कार्य निम्नवत हैं:–

1. वर्ष के दौरान न.रा.का.स. (कार्या.–2) की दोनों छमाही बैठकें निर्धारित कलेण्डर माह अर्थात् अप्रैल/सितम्बर में क्रमशः दिनांक 28.04.2022 एवं 29.09.2022 को निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठकों में सदस्य कार्यालयों के ज्यादातर प्रशासनिक प्रधान उपस्थित हुए।
2. उपरोक्त दोनों बैठकों में सभी 35 सदस्य कार्यालयों से प्राप्त छमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई। बैठक का कार्यवृत्त निर्धारित समयान्तर्गत सभी सदस्य कार्यालयों को प्रेषित किया गया तथा राजभाषा विभाग के न.रा.का.स. पोर्टल पर भी बैठकों का कार्यवृत्त, उपस्थिति–पत्रक एवं हस्ताक्षरित कार्यसूची अपलोड की गई।
3. उल्लेखनीय तथ्य यह है कि समिति के सभी 35 सदस्य कार्यालय राजभाषा विभाग के सूचना प्रबंधन प्रणाली में पंजीकृत हैं तथा प्रत्येक तिमाही की राजभाषा प्रगति रिपोर्ट प्रमाण–पत्र सहित अपलोड कर रहे हैं। इसके लिए न.रा.का.स. सचिवालय से उन्हें समय–समय पर अपेक्षित सहयोग भी दिया जाता है।
4. छमाही रिपोर्ट ठीक ढंग से तैयार करने, तिमाही रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने में आ रही दिक्कतों के समाधान/निवारण हेतु नगर स्तर पर एक दिवसीय उच्चस्तरीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23.08.2022 को किया गया जिसमें सदस्य कार्यालयों के कुल 45 प्रतिभागियों ने सहभागिता की।
5. न.रा.का.स. (कार्या.–2) प्रयागराज एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में न.रा.का.स. के सदस्य कार्यालय के राजभाषा कार्य से जुड़े कार्मिकों हेतु 05 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 28 नवम्बर, 2022 से 02 दिसम्बर, 2022 तक केंद्रीय अनुवाद व्यूरो, नई दिल्ली के सुविज्ञ व्याख्याताओं के सहयोग एवं सौजन्य से कराया गया।
6. न.रा.का.स. (कार्या.–2) प्रयागराज की गृह पत्रिका **'त्रिवेणी प्रवाह'** के प्रवेशांक का विमोचन दिनांक 29.09.2022 को आयोजित न.रा.का.स. की छमाही बैठक में किया गया तथा पत्रिका की साफ्टकापी (पी.डी.एफ.) आनलाइन माध्यम से सभी सदस्य कार्यालयों को प्रेषित की गई। त्रिवेणी प्रवाह के प्रवेशांक 2022 को राजभाषा विभाग के ई–पत्रिका पुस्तकालय पर भी अपलोड किया गया।
7. इसके अतिरिक्त न.रा.का.स. (कार्या.–2) के सभी सदस्य कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही में हिंदी बैठक के आयोजन, धारा 3(3) एवं नियम 5 के अनुपालन के प्रति भी जागरूकता पैदा की गई एवं उन्हें राजभाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान किया गया।
8. माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप–समिति ने दिनांक 03–04 जनवरी, 2023 को संस्थान सहित नराकास (कार्या.–02) प्रयागराज के कई कार्यालयों में संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन किया तथा उक्त कार्यालयों में हिंदी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन में गति लाने के लिए बहुमूल्य सुझाव भी दिए। संस्थान सहित सभी कार्यालय दिए गए सुझावों को अमल में लाने के लिए कटिबद्ध हैं।

भारतीय संस्थानों में ध्येय वाक्यों के रूप में सुभाषितों की भूमिका

सत्यजीत कुमार
सहायक कुलसचिव
एम.एन.एन.आई.टी.इलाहाबाद।

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज, संस्कृति, रहन–सहन एवं जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न ग्रन्थों इत्यादि के द्वारा 'संस्कृत' भाषा का अत्यधिक महत्व परिलक्षित होता आया है, विभिन्न माध्यमों से इसके श्लोक, ऋचाएं इत्यादि मानव जीवन को एक नयी दिशा दिखाता चला आया है, इसमें छोटे–छोटे वाक्यों के रूप में सुभाषित अर्थात सुन्दर कथनों ने हमारे रूप में सुभाषित अर्थात् सुन्दर कथनों ने हमारे जीवन एवं संस्कृति को मार्गदर्शित करता रहा है।

वर्तमान में भी भारतवर्ष के कई शासकीय गैर शासकीय क्षेत्रों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों, विभागों, कार्यालयों आदि में उद्देश्य वाक्यों, संस्थानों, विभागों, कार्यालयों आदि में उद्देश्य वाक्यों के रूप में, ये सुभाषित कार्यस्थल के आदर्शों एवं उद्देश्यों को बड़े ही सहज रूप में प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते है।

इस क्रम में सर्वप्रथम भारत सरकार का उद्देश्य वाक्य **'सत्यमेव जयते'** हमारी संस्कति के उद्देश्यों को दर्शाते हुए मुण्डकोपनिषद् में गृहीत मूल तथ्य अर्थात सदा सर्वदा सत्य की विजय होती है का बोध कराता है। इस मूल मंत्र को अगर हम अपने जीवन क्षेत्र में उतारते है तो निश्चित ही अन्य बुराइयाँ स्वतः ही समाप्त होती जाती हैं।

लोकसभा का वाक्य **धर्मचक्रप्रवर्तनाय** यह बताता है कि जो धारण करने योग्य धर्म है उस संस्थान को उन्हीं धर्ममय कार्यों को करना है। श्रम मंत्रालय का ध्येय वाक्य **'श्रमेव जयते'** अर्थात श्रम एवं परिश्रम के बिना कभी विजय नहीं होती है, इस मंत्रालय के उद्देश्यों को बड़े आसानी से बताती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के ध्येय वाक्य **'यतो धर्मस्ततो जयः'** अर्थात् जहॉ धर्म है, वहीं विजय होती है, हमारे सभी पौराणिक ग्रन्थ, लघुकथाएं इत्यादि में यह सिद्ध होता आया है कि अन्त में जीत धर्म की ही होती है,

हमारे संस्थान का ध्येय वाक्य **'सिद्धिर्भवति कर्मजा'** श्री मदभागवत गीता के निम्न श्लोक का अंश है।

काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता।
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।।

अर्थात सिद्धि यानी सफलता अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होती है। नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एडूकेशन के वाक्य **'गुरूर्गुरूस्तमो धाम'** स्कन्दपुराण से लिया गया है जबकि एन.सी.ई.आर.टी. का ध्येय वाक्य **'विद्ययाऽमृतमश्नुते'** ईश्वास्योपनिषद का वाक्य है जो यह दर्शाता है कि विद्या ही ज्ञान रूपी अमृत है।

इसी प्रकार आकाशवाणी का वाक्य **'बहुजनहिताय'** सभी वर्गों के हितों की बात एवं भावना रखने की बात कहता, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य **'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्'** भी कल्याणात्मक प्रवृत्ति को आत्मसात करता है, डाक विभाग के वाक्य **'अहर्निशं सेवामहे'** दिन–रात सेवा करने की बात कर अपने विभाग के कार्यों एवं उद्देश्यों को त्वरित ही बताता है, भारतीय जीवन बीमा निगम के वाक्य **'योगक्षेमं वहाम्यहम्'** मनुष्य को सदा सुरक्षा एवं प्राप्ति की दिशा में प्रयत्नशील रखता है।

इसी प्रकार भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी का वाक्य **'योगः कर्मसु कौशलम्'** भी भगवद्गीता से लिया गया है। जो कार्य की एकाग्रता, कुशलता एवं कौशल को अनन्य भाव से आत्मार्पित करने की प्रेरणा देता है।

हमारे सेना के विभिन्न अंगों में भी इन सुभाषितों का उद्देश्य परिलक्षित होता है, वायुसेना का वाक्य **'नभः स्पृशं दीप्तम्'** अतः आकाश को स्पर्श करें, जल सेना का वाक्य **'शं नो वरूणः'** वरुण अर्थात जल देवता हमारा कल्याण करें,

थल सेना का **'सेवा अस्माकं धर्मः'** अर्थात सेवा ही हमारा धर्म है, यह सभी वाक्य हमारे वीर जवानों की वीरता, कर्तव्यपरायणता एवं समर्पण भाव को बड़े ही आसानी से परिलक्षित करते हैं।

विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों ने भी **'तमसो मा ज्योतिर्गमय'** **'सा विद्या या विमुक्तये'** (विष्णु पुराण) अर्थात विद्या वही ही है जो बंधनों से मुक्त करे, गोरखपुर विश्वविद्यालय का **'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः'** ऋग्वेद से लिया है, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय ने **'सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्'** तथा जम्मू विश्वविद्यालय ने **'बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति'** हरियाणा विश्वविद्यालय ने **'विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्'** राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा **'याऽनूचानः स नो महान'** अर्थात जो विद्वान है वही निश्चय में महान है' ने सदा ही अपने उद्देश्यों को इन वाक्यों से समझाया है।

भविष्य में भी ये सुभाषित हमारे जीवन को नयी राह दिखाती रहेंगी एवं आने वाले पीढ़ियों को भी इस दिशा में जागृत कर हम अपने समाज एवं संस्कृति को निर्बाध रूप से आत्मसात करते रहेंगे। ये सुक्तियॉ, ये श्लोक, ये ऋचाएं सदा सर्वदा ही हमें नई राह एवं उद्देश्यों को प्राप्त कराती आयी हैं एवं निश्चित रूप से आगे भी मार्गदर्शित करेंगी।

(हिंदी पखवाड़े में पुरस्कृत)

!! विनम्रता !!

डॉ. नीरज कुमार
अधिशासी सचिव,
राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, प्रयागराज।

बड़ा या छोटा होना
तकदीर या तदबीर
की विसात नहीं,

न ही ये काबिलियत
की तारीफ है,

छोटी लकीर के सामने
बड़ी लकीर भी ये तय
नहीं कर पाती कि वो
बड़ी है, क्योंकि हो सकता
है कोई और खींच जाये
उससे बड़ी लकीर,
फिर आखिर कैसे हो
ये तय कि बड़ा क्या है।

मुश्किल है सवाल, पर गौर
से सोचो, तो शायद जवाब
तुम्हारे ही पास है,

कहीं तुम्हारा छोटा होना
ही तो नहीं है तुम्हारा
बड़ा होना।

!! रेज़ा !!

रजनी मुखर्जी
अनुभाग अधिकारी
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रयागराज

जेठ की तपती दोपहरी हो
या पूस की कड़कड़ाती ठंड
बच्चे को अपने पीठ पर बेतराकर
वह ढ़ोती है ईटों को बोझ सरपर अपने
चढ़ती है कई मंजिलों तक
दो वक्त की रोटी की खातिर
बगैर रुके बगैर थके
वो रेज़ा है, दिहाड़ी मजदूर।।
पर शिकन कोई नहीं चेहरे पर उसके
दोपहिया में अपने छौवा को
सीने से लगा अमृतपान कराते हुए
संग मरद के अपने
जब करती है वो रसास्वादन
माड़–भात और चाकोड़ साग की
उसके सांवले सलोने चेहरे की
नैसर्गिक सुंदरता दूनी हो जाती है।।
एक शुकून और संतोष होता है
चेहरे पर उसके
जो मिलता नहीं कभी
उन अमीर मांओं के चेहरे पर
जिनके बच्चे पीते हैं
डब्बाबंद दूध और
मां की गोद की जगह मिलती उन्हें गोद आया की।

डिजिटल भारत अभियान में हिंदी की भूमिका

शैलेश अवस्थी
अधीक्षक
एम.एन.एन.आई.टी.इलाहाबाद।

अंग्रेजी पढ़ के जद्यपि सब गुण होत प्रवीन।
पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन।।

कवि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की उपरोक्त पंक्तियां यह पुष्टित करती हैं कि आधुनिकता के इस दौर में हम चाहें जिस चरम स्थिति को प्राप्त कर लें, किंतु मातृभाषा के महत्व को कभी नकार नहीं सकते हैं।

डिजिटल भारत अभियान भी भारत सरकार की तकनीकी उन्नयन की आकांक्षा का अभिन्न अंग है। इससे विभिन्न क्षेत्रों जैसे– शिक्षा, रोजगार, बैंकिंग आदि सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना ही उद्देश्य है। किन्तु यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि भारत को गांवों का देश कहा जाता है। हमारे देश में कोई भी योजना अथवा अभियान तब तक सफल नहीं माना जायेगा, जब तक उसे आम जनमानस के लिए सहज न बनाया जाये।

हम जानते हैं कि हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत की एक बड़ी आबादी हिंदी भाषी है। इसलिए डिजिटल भारत अभियान को हम तकनीकी अथवा पहुंच के दृष्टिकोण से चाहे जितना सुलभ व उन्नत बना लें, किंतु वह लोगों की भावनाओं से तभी जुड़ पायेगा, जब वह उनकी भाषा में हो।

उदाहरण के लिए डिजिटल भारत अभियान में ग्रामीण बैंकिंग पर बहुत जोर दिया जा रहा है, किंतु रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाव दिया गया है कि समस्त बैंकिग सुविधाएं हिंदी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करायी जायें।

डिजिटल भारत अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसमें युवाओं की भूमिका और सहभागिता कितनी है?

इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई नई शिक्षा नीति में तकनीक के अधिकतम उपयोग की बात तो कही ही गई है, साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हिंदी को शिक्षा का अनिवार्य अंग समझा जाये।

हम यह कह सकते हैं कि डिजिटल भारत अभियान और हिंदी भाषा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक–दूसरे के इनका सफल इष्टतम प्रयोग सम्भव नहीं है।

डिजिटल भारत अभियान के तहत जहां न्याय के मंदिर कहे जाने वाले सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा फैसलों में तेजी लाने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, वहीं इसी के समानांतर अपने फैसलों की हिंदी सहित अन्य मातृभाषाओं में उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सरकार और समाज के निरंतर प्रयासों से डिजिटल भारत अभियान को जो सफलता प्राप्त हुई है, उसमें हिंदी सहित अन्य मातृभाषाओं का अप्रतिम योगदान है।

यदि 'आरोग्य सेतु' हिंदी में उपलब्ध न कराया जाता तो शायद सरकार की उन्नत तकनीक के बावजूद अधिकांश आबादी इसके प्रयोग व लाभ से वंचित रह जाती।

हिंदी राष्ट्र को, समाज को, व्यक्ति को तथा विश्व को धर्म, जाति व वंश से ऊपर उठकर एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है, और डिजिटल भारत जैसी अनेक योजनाएं हिंदी व उसके प्रभुत्व की छाया में पोषित व सफल होती हैं। क्योंकि,

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल।।"

(सर्तकता जागरूकता सप्ताह में पुरस्कृत)

इक्कीसवीं सदी के लोकवृत्त में गांधी और उनका अर्थदर्शन

डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इक्कीसवीं सदी का मानव समाज विगत शताब्दियों में अपना नायक ढूंढता है तो गांधी बरबस उपस्थित हो जाते हैं। गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। दरअसल, मानव समाज में गांधी ऐसी शख्सियत हैं, जिनके जीवन और लेखन की व्याख्या बहुआयामी है। गांधी 20वीं सदी के उन महान चिंतकों में शामिल हैं, जिन्होंने दुनिया को समझने, बदलने और देखने का एक नजरिया पैदा किया।

21वीं सदी में गांधी और मार्क्स के अंतर्संबंध को भी अपने–अपने तरह से देखने की कोशिश की जा रही है। मार्क्स 19वीं सदी और गांधी 20वीं सदी के उन महान चिंतकों में शामिल हैं, जिन्होंने दुनिया को समझने, बदलने और देखने का एक नजरिया पैदा किया। वैसे तो मार्क्स और गांधी ने मानव समाज के अनेक पहलुओं पर काम किया, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियां, उसकी व्याख्याएं अर्थात् उनका अर्थदर्शन भी बेहद प्रभावी रहा है। इक्कीसवीं शताब्दी के शुरुआती दशक में ही यानी 2008 में जब वैश्विक मंदी की आंच सबको अपने लपेटे में ले रही थी तो कार्ल मार्क्स फिर से पढ़े जाने लगे। मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के पन्ने पलटे गए। दरअसल, दुनिया के स्तर पर लोक की बात करते हुए मार्क्स और गांधी की याद सम्मिलित रूप से आना स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए कि मार्क्स जिस सर्वहारा, श्रम और मजदूर की बात करते हैं या गांधी जिस अंतिम जन, लघु–कुटीर उद्योग या ग्राम स्वराज की बात करते हैं, वही वास्तविक लोक दुनिया है।

यह सच है कि मार्क्स और गांधी दुनिया के दो अलग–अलग देशों में पैदा हुए लेकिन दोनों देशों की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियां एकदम अलग थीं। मार्क्स के देश में उद्योग, कार्पोरेट और मजदूर केंद्र में थे तो गांधी के देश में कृषि, जाति और ब्रिटिश शासन। मार्क्स की दुनिया में वर्ग संघर्ष चल रहा था तो गांधी के देश में जातीय–धार्मिक विद्वेष, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में भारतीय ज्ञान परंपरा का अवमूल्यन, सामंतवाद और साम्राज्यवाद यानी ब्रिटिश शासन की जनविरोधी नीतियां हावी थीं।

इन दोनों चिंतकों का साम्य यह था कि इनके केंद्र में मनुष्य थे, मानव समाज की तकलीफें और उन तकलीफों से उबरने के उपाय। वैषम्य यह कि जहां मार्क्स एक सीमा के बाद हिंसा को जायज ठहरा देते हैं, वहीं गांधी अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत से कोई समझौता करने को तैयार नहीं। यही वजह है कि लोकवृत्त में गांधी का होना निडरता और साहस की बानगी है।

इक्कीसवीं सदी में अर्थ केंद्रित समाज का निर्माण बहुत तेजी से होता दिख रहा है। आर्थिक नीतियां सामाजिक सरोकारों पर भारी पड़ रही हैं। गांधी का अंतिम जन अपने हक की लड़ाई में कमजोर साबित हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देने की बात तो खूब जोर–शोर से चल रही है, लेकिन गांवों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। नई आर्थिक नीतियों के आलोक में ग्रामीण उद्योग, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होता दिख रहा है। आत्मनिर्भरता की गांधीवादी संकल्पना मानो छूट सी गई है। विकास की अवधारणा में उनकी जगह सिकुड़ती जा रही है, जो गांधी के अर्थदर्शन के केंद्र में हैं। गांधी, सामाजिक–आर्थिक समानता के लिए जिस ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बात करते थे, वह भी अमल में नहीं लाया जा सका है।

इक्कीसवीं शताब्दी के शुरुआती दशक में ही जब वैश्वीकरण की अवधारणा से उपभोक्तावादी संस्कृति और जलवायु परिवर्तन आदि का प्रभाव सामने आया तो अभिजन और लोकजन दोनों संकट में पड़ गए। ऐसे में गांधी की जरूरत महसूस की जाने लगी है। इसलिए भी कि गांधी दर्शन में केवल आर्थिक संकट का समाधान ही नहीं बल्कि मनुष्य होने का अर्थ भी निहित है। प्रकृति और मनुष्य के बीच के रिश्ते की परिभाषा भी शामिल है।

दरअसल, भारत में जब नई आर्थिक नीतियां लागू की गईं तो उसने लघु और कुटीर उद्योगों को संकट में डाल दिया। गांवों की अर्थव्यवस्था खराब होने लगी, छोटे–छोटे कामगारों की कमर टूटने लगी तो गांधी की पुस्तक 'हिंद–स्वराज', 'मेरे सपनों का भारत'और 'ग्राम–स्वराज' जैसी पुस्तकें मार्गदर्शक की भूमिका में आ गईं। पूंजी का प्रभाव और उसके प्रभाव से जब अभिजन और लोकजन दोनों संकट में दिखने लगे हैं तो गांधी होने का अर्थ स्पष्ट होने लगा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू हुई, पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा को जगह दी गई, लेकिन गांधी जिस सामाजिक समानता और समरसता के लिए जिस आर्थिकी की बात करते थे, उसे विस्मृत बल्कि कहें सायास छोड़ दिया गया है। गांधीजी का स्पष्ट मानना था कि स्वदेशी अपनाना ही भारतीय अर्थव्यस्था को सुदृढ़ कर सकता है। यह भी कि हमें ऐसी अर्थव्यवस्था का पालन करना चाहिये जिसमें अधिक से अधिक श्रम का प्रयोग हो और वह तभी संभव हैं जब हम श्रम गहन प्रौद्योगिकी को केंद्र में रखेंगे। जबकि इक्कीसवीं सदी की आर्थिक नीतियां मानव समाज के प्रतिकूल दिशा में हैं और ऐसे में गांधी के आर्थिक विचार बेहद उपयोगी नजर आते हैं। जो मानव समाज के हित में दीर्घकाल तक प्रभावी भूमिका में मौजूद रहेंगे।

गांधी की वैचारिकी और उसके अनुपालन से इक्कीसवीं सदी का लोक अंधियारे से बाहर निकलता है। ऐसा लगता है जैसे गांधी के विचारों की अवहेलना और अनुपस्थिति से हमारी दुनिया खासकर इक्कीसवीं सदी का लोक समाज कितना खाली, अधूरा और असहाय है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय-2) प्रयागराज की
छठवीं बैठक का आयोजन दिनांक 29.09.2022

नराकास (कार्या-2) प्रयागराज के कार्मिकों हेतु पाँच दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण का आयोजन
(दिनांक 28 नवंबर, 2022 से 02 दिसंबर,2022 तक)

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रयागराज का निरीक्षण दिनांक 03 जनवरी, 2023

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान(महिला) इलाहाबाद द्वारा दिनांक 20.02.2023 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज द्वारा दिनांक 23.03.2023 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन

स्वयं की अनुभूति

राममूर्ति सरोज
प्र.स्ना.शि. (हिंदी)
के.वि.,सी.आर.पी.एफ.,प्रयागराज

एक टीस है, एक दर्द है, एक घुटन हूँ पाले,
आज फोड़ने वाला हूँ मैं अपने मन के छाले।।

मानव जन्म मिला क्यों है क्या इसका अर्थ है जाना।
जीवन में नित क्या करना है, हमने क्यों न जाना।।
अपनी आँखे मूँद सड़क पर आगे बढ़ते जाते।
घायल पड़ा असहाय वृद्ध को दरकिनार कर जाते।।
ऐ मन जरा ठहर तू देख, पड़ोसी तड़पता बिना निवाले।
आज फोड़ने वाला हूँ मैं अपने मन के छाले।।

शिक्षित होकर भी शिक्षा का अर्थ न हमने जाना,
स्वयं के आगे दर्द किसी का बया हमने पहचाना।।
जन्मदायिनी जननी मेरी एकटक मुझे निहारे,
असहाय पड़ी पलंग पर पानी के लिए माँ तुझे पुकारे।।
करुण पुकार सुनी न माँ की उसकी हर बात को टाले,
आज फोड़ने वाला हूँ मैं अपने मन के छाले।।

धरती माता का हमने दोहन भरपूर किया है,
क्षणिक लाभ हित पाने खातिर प्रकृति से खिलवाड़ किया है।।
इस विकास की अन्धी दौड़ में सभ्यता, संस्कृति भुला दिया है।।
सोच, समझकर चल "सरोज" तू जीवन अपना धन्य बना ले,
आज फोड़ने वाला हूँ मैं अपने मन के छाले।।

दुनिया में भारत की बढ़ती साख

आशुतोष कुमार
वरिष्ठ सहायक
एम.एन.एन.आई.टी. इलाहाबाद

प्राचीन काल में भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था और उसके कई शताब्दियों तक भारत दुनिया को लगभग सभी क्षेत्रों में राह दिखाता रहा था। परन्तु उसके बाद बाहरी विदेशी आक्रांता और फिर अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को लूटा और भारत की साख को काफी नुकसान पहुंचाया गया।

आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से दुनिया में भारत की साख में बढ़ोतरी हुई है। आजादी के बाद से देश कई चुनौतियों को झेलते हुए भी निरंतर आगे बढ़ा है और आज इक्कीसवीं सदी में भारत की साख विश्व में लगभग सभी क्षेत्रों में जैसे– विज्ञान, अनुसंधान, रक्षा, विदेशी कूटनीति, खेल अर्थव्यवस्था एवं राजनीति के क्षेत्र में बढ़ी है। इस साख के बढ़ने के पीछे निःसंदेह सभी सरकारें जो आजादी के बाद से निर्वाचित हुई हैं का योगदान है परंतु पिछले 20 वर्षों में भारत की विकास गति एवं उपलब्धि कई गुना बढ़ी है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। रक्षा और अनुसंधान में डी.आर.डी.ओ. एवं अन्य कई संस्थाओं ने भारत को स्वदेशी तकनीक विकसित कर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। ब्रम्होस एवं अन्य कई स्वदेशी मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण इस बात का द्योतक है कि भारत आज विश्व के अन्य अग्रणी देशों की तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। विदेशी कूटनीति में भारत का डंका आजकल काफी बज रहा है। जो भारत की दुनिया में बढ़ती साख को प्रमाणित करता है। कई संकटग्रस्त देशों से भारतवासियों का स्वदेश आगमन हो या उनको मदद पहुंचाना हो, भारत आज के समय में यह काम बखूबी कर रहा है। कई प्रकार की चक्रवातों एवं युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालने जैसे कई उदाहरण अब देखने को मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में भारत की आज अलग पहचान है। लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता है चाहे वह आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, महामारी एवं विश्व शांति की बात क्यों न हो।

लगभग सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच आज भारत को सदस्यता प्रदान कर चुके हैं एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत की स्थायी सदस्यता की मांग विश्व में काफी समय से चल रही है। खेल एवं नवाचार में भी भारत की प्रगति सराहनीय है जो भारत के विश्व पटल में बढ़ती साख का परिचायक है।

खेलों में भारत सरकार की योजनाओं का असर अब भारत के प्रदर्शनों पर पड़ा है। भारत आज सभी खेलों में कड़ी प्रतिस्पर्धा दे पा रहा है, जो पहले हम नहीं दे पाते थे। हमारे खिलाड़ी रोज नए कीर्तिमान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर रहे हैं जिसका एक उदाहरण हाल ही में बैडमिंटन में उबर कप की विजेता के रूप में हुआ है। नवाचार एवं उच्च शिक्षा में भारत के कई वैज्ञानिकों की उपलब्धि उल्लेखनीय है। इसरो एवं भारत बायोटेक जैसी संस्था ने अपने योगदान से देश के साख को कई गुना तक बढ़ाया है।

विगत कुछ दिनों पूर्व दुनिया में आयी भीषण महामारी कोरोना ने दुनिया को अस्त–व्यस्त कर दिया था किन्तु भारत ने वैक्सीन की आपूर्ति निर्बाध रूप से सभी देशों को की एवं कई गरीब देशों को अन्य जरूरत की चीजें उपलब्ध करायी। आजादी के इस अमृतकाल में हम भारत की बढ़ती साख के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि जब हम आजादी के सौ साल पूरा करें तब भारत की तरक्की की गाथा आज से कई गुणा ज्यादा हो।

अर्थव्यवस्था की तेज गति भारत के किसानों के उत्पादन का परिणाम एवं उद्योग के क्षेत्र में श्रमिकों के परिश्रम का योगदान है। लोहा, स्टील, अभ्रक जैसी खनिज, गेंहूँ एवं फल–सब्जी इत्यादि के उत्पादन में आज भारत अग्रणी है। भारत की बढ़ती साख में, विदेश में रह रहे भारतवासियों का भी अतुलनीय योगदान रहा है।

भारत की बढ़ती साख का एक उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) है। जिसे आज दुनिया भर के देशों के द्वारा मनाया जाता है।

भारत आज हर मोर्चों पर तरक्की कर रहा है जिसका प्रमाण हमे रोज नई–नई रिपोर्टों एवं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित रैंकिग के माध्यम से पता चलता रहता है। आज दुनिया में भारत को रक्षा एवं युद्ध क्षेत्र में अग्रणी देश माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिपरी द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में भारत को दुनिया का चौथा शक्तिशाली देश माना गया है। बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक द्वारा भारत ने हर मोर्चे पर अपने दुश्मनों को करारा जवाब दिया है एवं भारतवासियों को गौरव का क्षण दिया है।

अतः हम कह सकते हैं कि आज आजादी के सात दशक बाद भारत की साख में निःसंदेह बढ़ोत्तरी हुई है जिसका प्रमाण भारत के लोगों ने निरंतर दिया है अपने कृत्यों से चाहे वह राष्ट्रीय पटल हो या अंतर्राष्ट्रीय पटल।

(हिंदी पखवाड़े में पुरस्कृत)

आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हिन्दी की स्थिति एवं विचार

नवीन कुमार श्रीवास्तव
सहायक
राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, प्रयागराज

प्रस्तावनाः– आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आज कई विषयों पर विचार करने व उसके स्थिति पर विचार करना आवश्यक हो गया है। उन्हीं विषयों में से एक विषय हिन्दी की स्थिति एवं विचार विषय भी होना चाहिये।

आजाद भारत के संविधान में 14 सितम्बर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकृत किया गया। संविधान के अनुच्छेद 351 की प्रस्तावना के अनुसार इसके व्यापक प्रचार व प्रसार की जिम्मेदारी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को सौंपी गई।

राजभाषा संकल्प 1968 द्वारा नीति निर्धारण नियमों में राजभाषा विभाग में हिन्दी के महत्ता, प्रभावी अनुपालन प्रोत्साहन आदि पहलुओं पर विचार एवं उसके क्रियान्वयन की बात कही गई है।

हिन्दी राजभाषा का महत्वः– संघ में हिन्दीभाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के बाद इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। हिन्दी को जनभाषा, राजभाषा बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करने पर प्रचार किया जाने लगा। इसके लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने कुछ विशेष नीतियों का निर्धारण किया जिससे कि जनमानस हिन्दी के प्रति जागरूक व सचेत हो और हमारी राजभाषा का उत्तरोत्तर उन्नयन होता रहे।

इस आजादी के अमृत महोत्सवमें हिन्दी की स्थिति को और अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए संगठन/विभाग/ संस्थायें प्रेरित हों और आगे आयें इस पर भी गहन मंथन किया गया।

आजादी का अमृत महोत्सव एवं संस्थानों का महत्वः– राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हिन्दी राजभाषा को अत्यधिक उपयोगी व असरदार बनाने के लिए इस दिशा में आजादी के पहले से लेकर अब तक कार्यदायी संगठनों संस्थानों, प्रकाशकों व विभागों को पुरस्कृत करने के लिए एक परिपत्र इसी वर्ष जारी किया है जिससें इनकी पथ–प्रर्दशक भूमिका को सराहने व सम्मानित किया जाये। इस कार्य से अन्य विभाग संस्था व व्यक्ति विशेष भी प्रेरित होगा और हिन्दी उत्थान का कार्य करेगा।

क्षेत्रीय स्तर की भूमिकाः– यूँ तो हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में कार्य करने, बोलचाल आदि दैनिक कार्यो में भरपूर हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जा रहा, परन्तु कुछ राज्यों में हिन्दी को दोयम दर्जे की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है।

ऐसे राज्यों में क्षेत्रीय भाषायी संगठन व विभागों को महती भूमिका निभानी होगी जिससे कि वहाँ भी हिन्दी को उचित सम्मान व स्थान प्राप्त हो।

इसके लिए क्षेत्रीय प्रकाशकों व संगठनों को सेमिनार कार्यशाला व अन्य प्रतियोगितायें समय–समय पर आयोजित कराकर कर हिन्दी भाषा के प्रयोग के ज्ञान को बढ़ावा देना होगा।

आज हिन्दी भारत के अलावा लगभग 22 देशों में प्रयोग की जाती है तथा हिन्दी भाषा विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है।

क्षेत्रीय स्तर पर आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में हिन्दी के संवर्धन हेतु विशेष आयाम के मानक के रूप में प्रचार–प्रसार सामग्री तैयार की जानी चाहिए इस कार्यो को प्रभावी व क्रियाशील बनाने हेतु राज्य सरकारों को मजबूत व प्रभावी कदम के साथ नीति निर्देशक कानून को अपनाना व बनाना चाहिए समय–समय पर समीक्षात्मक बैठक व निर्धारित लक्ष्य का मूल्यांकन भी करना चाहिए।

अमृत महोत्सव वर्ष में हिन्दी की स्थिति व विचार पर सुझावः– आजादी के 75वें वर्षगाँठ पर भारत सरकार ने अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया जिससे कि इस पावन पर्व में सभी लोगों की सहभागिता व जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं –

1. प्रकाशकों/संगठनोंधविभागों को पुरस्कृत करने व उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाये।
2. भारत सरकार की राजभाषा नीति का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित हो।
3. क्षेत्रीय व सामाजिक स्तर पर सहयोग व समर्थन को बढ़ावा मिले जिससे कार्यदायी संस्थाओं का मनोबल बढ़े।
4. ज्यादा से ज्यादा प्रचार–प्रसार सामग्री हिन्दी में प्रकाशित की जाये।

उपसंहारः– उपर्युक्त विश्लेषणों के आधार पर यह कहना उचित होगा कि हिन्दी संवर्धन, अमृत महोत्सव का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा इसे सतत निरीक्षण एवं मूल्यांकन के द्वारा पुष्ट किया जा सकता है।

जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है,
न तेरी खुशबू न तेरी सी बू है।
है भव्य भारत ही हमारी, मातृभूमि हरी–भरी।
हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा और लिपि है नागरी।।

अंत में यह कहना है कि हिन्दी जो आज विश्व की तीसरी बोली जाने वाली लोकप्रिय भाषा है वह एक न एक दिन विश्वगुरू की भाषा हो कर रहेगी।

(हिंदी पखवाड़े में पुरस्कृत)

राजभाषा हिंदी के समक्ष चुनौतियां

रामविलास द्विवेदी
पीजीटी(हिंदी)
केंद्रीय विद्यालय इफको फूलपुर प्रयागराज

भाषा मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का सर्वोत्तम माध्यम है। इस सृष्टि में मनुष्य ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर पाया है, जिसका कारण है भाषा। मनुष्य को सामाजिक बनाने में भी सबसे अहम भूमिका निभाने वाला तत्व मनुष्य की भाषा ही है। भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर सुनकर लिखकर या पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। जिस माध्यम से हम अपने भाव या विचारों को दूसरों को समझा सकें और दूसरे के भाव को समझ सकें उसे भाषा कहते हैं। दुनिया में अनेक भाषाएं हैं। बहुत सी भाषाएं तो अपना अस्तित्व ही नहीं बचा पाईं और कालकवलित हो गईं। जो भाषा वैज्ञानिक, भाव और विचार की वाहक हो, सरल और सुबोध हो, जीवंत और प्रभावशाली हो, वही अपना अस्तित्व बरकरार रख सकी है। हिंदी वह सशक्त भाषा है जिसने न केवल अपना अस्तित्व बरकरार कर रखा है अपितु निरंतर विकसित होती जा रही है।

हिंदी अपनी सहजता, नमनीयता और सर्व ग्राहकता के कारण अपने शब्दकोश और प्रेषणीयता तथा भावभंगिमा में अद्भुत वृद्धि कर सकी है। हिंदी शब्द का संबंध सिंधु से माना जाता है। सिंधु, सिंधु नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आस–पास की भूमि को सिंधु कहने लगे। सिंधु शब्द फारसी में जाकर हिंदू हो गया और फिर हिंद हो गया। भारत के अन्यान्य हिस्सों से परिचय के साथ इसके अर्थ में विस्तार होता गया और हिंद शब्द पूरे भारत का वाचक हो गया। प्रारंभिक हिंदी में साहित्यिक कृतियों की रचना का सिलसिला 12वीं सदी से शुरू होता है। हिंदी को विकसित और लोक व्यापी बनाने का कार्य साधु–संतों ने भी किया है। इन्होंने उस समय हिंदी की शैली ही विकसित कर ली थी। इनमें चौरासी सिद्धों की रचनाओं के साथ गोरखनाथ, रामानंद आदि को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

हिंदी भाषा के लिए हिंदवी, भाखा, दक्खिनी, उर्दू, रेखता आदि नाम दिए गए। हिंदवी शब्द का प्रयोग पहले समस्त भारतीय आर्य भाषाओं के लिए किया गया किंतु बाद में मूल रूप में दिल्ली और उसके आस–पास की भाषा को मुसलमान शासकों ने हिंदवी नाम दिया। भाषा का प्रयोग मध्यकालीन अनेक कवियों ने हिंदी के लिए किया है। हिंदी को अपनाने का फैसला केवल हिंदी वालों ने ही नहीं किया। हिंदी को अपनाने की आवाज पहले अहिंदी प्रांतों से उठी। स्वामी दयानंद जी, महात्मा गांधी या बंगाल के नेता हिंदी भाषी नहीं थे। हिंदी हमारी आजादी के आंदोलन का एक कार्यक्रम बनी और 14 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उसका समावेश किया गया।

हमारे संविधान का जो पहला मसविदा बना उसमें अंग्रेजी के लिए 5 साल की अवधि देना तय किया गया था, लेकिन श्री गोपालस्वामी आयंगर श्री अल्लादि कृष्णस्वामी और टीटी कृष्णमाचारी के आग्रह पर वह 5 साल की अवधि बढ़ाकर 15 साल की गई। हिंदी अंकों को अंतरराष्ट्रीय अंकों का रूप नहीं दिया गया। राष्ट्रभाषा की जगह हिंदी को राजभाषा कहा गया। उस समय अहिंदी प्रांतों से हिंदी का विरोध नहीं हुआ था। संविधान में जो बातें थीं, उनका विरोध या तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने किया जो अंग्रेजी नहीं चाहते थे या स्वर्गीय मौलाना आजाद ने किया,जो हिंदी की जगह हिंदुस्तानी चाहते थे। मगर दक्षिण से हिंदी के विरोध में आवाज नहीं उठी थी। लेकिन 15 साल में हमने क्या किया? यदि 15 साल में जैसा कि सभा ने निर्णय किया था और जैसा कि संविधान में लिखा था, हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था होती, तो फिर आज जो परिस्थिति पैदा हो गई है, वह न होती। तमिलनाडु की सरकार ने हिंदी को अनिवार्य नहीं किया। अनिवार्यता हटा ली गई। परीक्षा में पास होना भी अनिवार्य नहीं रहा और वहां हिंदी की पढ़ाई एक मजाक बनकर रह गई। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को संविधान में आधिकारिक राजभाषा के रूप में उल्लिखित किया गया। हिंदी को राजभाषा घोषित करने से पहले ही बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा। विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों ने हिंदी भाषा का कड़ा विरोध किया। हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा को 15 साल के लिए राजभाषा के लिए जगह दी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ राज्यों ने अंग्रेजी को ही आज तक राजभाषा बनाए रखा है। इसके बावजूद भी हिंदी, आज अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच भाषाओं के साथ दुनिया में सबसे अधिक बोलचाल में लाई जाने वाली भाषा है। भारत में लगभग 650 से अधिक जीवित भाषाएं हैं। परंतु भारतवर्ष में आज संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं को ही प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी को भारत के 12 राज्यों की प्रथम भाषा 11 राज्यों में द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी ने राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

संपूर्ण भारत के बड़े नेताओं ने हिंदी की महत्ता स्वीकारी थी। उस समय अनेक कवियों और लेखकों ने हिंदी में अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं दीं, जिनसे राष्ट्र में स्वातंत्र्य–चेतना का विकास हुआ। चुनौतियां भी उपस्थित होती रहीं। स्वतंत्रता

मिलने के बाद जातीयता का भाव तेजी से बढ़ा। हम बंगाली हैं, मलयाली हैं, गुजराती हैं, आंध्र हैं– अपने प्रदेश भाषा और संस्कृति से संबंधित इस भाव को हम जातीयता का भाव कह सकते हैं। जब हम अपनी भाषा और साहित्य की बेहद बड़ाई करते हैं तो हम प्रोविंशियल हो जाते हैं। अपनी भाषा, जाति, प्रदेश उसकी संस्कृति आदि पर गर्व करना बुरी बात नहीं है। इन अनेक जातियों से ही भारत राष्ट्र की रचना हुई है। इन प्रदेशों की विभिन्न संस्कृतियों से मिलकर ही भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है। इसलिए अपने प्रदेश और उसकी संस्कृति को भुलाकर राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति की बात करना संभव नहीं है। किंतु इसका एक परिणाम यह भी निकलता है कि अपनी भाषा और अपने साहित्य को ही श्रेष्ठ समझने का फल देश की प्रगति के लिए हानिकारक हो सकता है। हम एक दूसरे से सीखकर, मिलजुलकर आगे बढ़ने के बदले जातीय प्रतिद्वंद्विता में फंस जाते हैं और अपनी शक्ति का काफी भाग अपनी जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने में व्यय करते हैं। अंध जातीयता के इस खतरे को स्वीकार करते हुए यह मानना होगा कि उचित मात्रा में जातीयता की चेतना विकास के लिए आवश्यक है। जातीयता का प्रश्न उपस्थित होने पर कुछ मित्र कहते हैं– हिंदी राष्ट्रभाषा हैय हम सारे राष्ट्र की बात सोचते हैं किसी प्रदेश के बारे में सोचने की संकीर्णता क्यों दिखाएं। 1857 में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से हिंदी–प्रदेश भारतीय जीवन की धुरी था। सन सत्तावन का स्वाधीनता संग्राम हिंदी प्रदेश तक सीमित नहीं था। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में भी संघर्ष हुए किंतु मुख्य समर भूमि दिल्ली झांसी और शाहाबाद के विशाल त्रिकोण से संबद्ध थी। भारत की अनेक समृद्ध भाषाओं की तुलना में हिंदी गद्य का विकास विलंब से हुआ। खड़ी बोली का शिष्ट और सुसंस्कृत रूप पहले उर्दू के माध्यम से सामने आया। यह प्रसन्नता की बात है कि उर्दू की बहुत सी पुस्तकें देवनागरी अक्षरों में छप रही हैं और हिंदी साहित्य की पुस्तकें उर्दू में इससे हमारी भाषा के दोनों साहित्यिक रूप एक दूसरे के निकट आते हैं और एक मिलीजुली साहित्य भाषा की ओर बढ़ने की संभावनाएं उत्पन्न होती है। हिंदी आज स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर तक व्यवहृत हो रही है फिर भी राष्ट्रभाषा के रूप में इसकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई है।

भूमंडलीकरण के कारण भारत एक बड़े बाजार के रूप में विकसित हो रहा है और हिंदी बाजार की भाषा बन रही है। फिर भी हिंदी के मार्ग में अनेक व्यवधान हैं। लोगों में धारणा बन गई है कि हिंदी पढ़ने से आजीविका नहीं मिलेगी, अंग्रेजी पढ़कर ही हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसी वजह से लोग हिंदी से दूर और अंग्रेजी के करीब जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर से ही विद्यालयों में अंग्रेजी पर जोर दिया जा रहा है। जब भाषा का संबंध आजीविका से जोड़ दिया जाता है तो जनसाधारण उसके लिए सप्रयास हो जाता है। नौकरियों में जब अंग्रेजी जानने वालों को ही वरीयता दी जाती है तो हिंदी को चाहने वाले हताश होने लगते हैं। अतः हिंदी को रोजगार की भाषा बनाया जाना चाहिए। धर्म, भाषा, संप्रदाय के आधार पर सत्ता पाने की होड़ में राजनीतिज्ञों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के गौरव से वंचित किया है। भाषा के आधार पर देश के राज्यों के विभाजन ने हिंदी का बहुत नुकसान किया है। इनकी वजह से क्षेत्रवाद और भाषावाद का जन्म हुआ और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय सर्वमान्य भाषा अपने वाजिब हक से अब तक दूर है। भारत के प्रांत, प्रांतीय–भाषा और अंग्रेजी के पक्षपाती हो गए।

दीर्घकाल तक गुलामी की स्थिति के कारण अंग्रेजियत और अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व हो गया। हीन भावना की स्थिति के कारण भारतवासियों में अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो गई। स्वतंत्र भारत में भी स्वदेशी भाषाओं के प्रति एक दूरी बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी भारतीय अपनी भाषा, संस्कृति और प्रतीकों के प्रति समर्पित नहीं हो सके हैं। शिक्षा का ढांचा भी अंग्रेजों की सोच पर केंद्रित होने के कारण निज भाषा पर गर्व का अवसर नहीं देता।

संचार क्रांति के इस युग में अंग्रेजी के मुकाबले देशी भाषाएं उपेक्षित हुई हैं। हम देखते हैं कि मोबाइल पर जब लोग संदेश लिखते हैं तो देवनागरी लिपि का प्रयोग न करके रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। शब्द हिंदी के जरूर होते हैं पर लिपि देवनागरी नहीं होती। संचार–माध्यमों में और आधुनिक वार्तालाप में भी हिंग्लिश का बोलबाला है।

आधुनिक ज्ञान–विज्ञान और तकनीकी विषयों का उद्‌भव पाश्चात्य समाज की उपज है। बहुत सारे पारिभाषिक और तकनीकी शब्द ज्यों के त्यों स्वीकार करने पड़ते हैं। उनका उपयुक्त अनुवाद नहीं हो पाता। हिंदी में आधुनिक ज्ञान–विज्ञान एवं तकनीकी शब्दों का अभाव होने के कारण भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु उसे रोजगार की भाषा और ज्ञान विज्ञान तथा व्यापार की भाषा बनाना होगा। उसके व्यवहार में गौरव की अनुभूति से सराबोर होना होगा न कि हीन भावना से ग्रस्त होना होगा। हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के शब्दों में उद्‌घोष करना होगा–

"निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल"।

आतंकवाद – कारण एवं निवारण

शैलेश अवस्थी
अधीक्षक
एम.एन.एन.आई.टी. इलाहाबाद

'अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम्,
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।

निश्चित ही उक्त पंक्तियों में यह आशय निहित है कि अपने और पराये का भेद संकुचित विचारधारा का ही एक परिणाम हो सकती है, उदार चरित्र वालों के लिए तो सम्पूर्ण पृथ्वी ही उनके परिवार के समान है।

इसी भावना को कतिपय कारणोंवश दिग्भ्रमित होकर आत्मसात् न कर पाना ही आतंकवाद को जन्म देता है। वैसे तो आतंकवाद को एक, दो अथवा कुछ वाक्यों में परिभाषित कर पाना मुश्किल है, फिर भी दूसरों की स्वतंत्रता, निजता और परिवेश पर अकारण ही हमला करना आतंकवाद है। वर्ष 2001 में अमेरिका में हुआ हमला हो या उसके तुरन्त बाद भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर हुआ कायरतापूर्ण कृत्य या मुम्बई पर हुआ वर्ष 2008 का घातक हमला। इन सब प्रकरणों की विस्तृत जांच पड़ताल करने पर यही प्रकाश में आया कि आतंकवाद में राष्ट्र, धर्म अथवा समाज की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। आतंकवाद पूर्णरूपेण प्रायोजित कृत्य होता है। वैसे तो इसके कारणों को समझने का आधार बहुविमीय हो सकता है, किन्तु फिर भी यदि हम चाहें तो आतंकवाद बढ़ने के निम्न कारण हो सकते हैं।

आतंकवाद के कारण

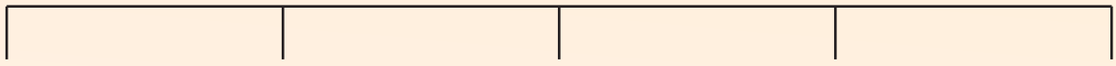

राजनीतिक कारण सामाजिक कारण धार्मिक कारण अंतर्राष्ट्रीय विवाद अन्य कारण

स्पष्ट है कि स्वार्थपूर्ण भावना से प्रेरित होकर अनेक देशों ने अघोषित और संकुचित प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रखा है। उपरोक्त कारणों की व्याख्या करने पर हमें यही निष्कर्ष प्राप्त होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा मिलने का सबसे प्रमुख कारण दिग्भ्रमित होकर स्वार्थपूर्ति करना है।

वर्ष 2017 में एक अमेरिकी रिसर्च में यह परिणाम सामने आये कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उनमें लगभग 60 प्रतिशत को वास्तविक तथ्यों और परिणाम ज्ञात ही नहीं रहते हैं। अर्थात आतंकवाद को बढ़ावा देने में कहीं न कहीं अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

एक अन्य प्रमुख कारण यह भी है कि दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को आमजन मानस द्वारा उपेक्षित करना भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वरना 10 हजार से भी ऊपर जनसंख्या घनत्व वाली दिल्ली और व्यस्ततम शहर मुम्बई में कोई अप्रिय घटना कैसे घटित हो सकती है। सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी कोई प्रतिक्रिया न देने वालों के लिये ही राष्ट्रकवि दिनकर लिखते हैं–

'समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध।
जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध।।'

अर्थात् संदिग्ध घटनाओं की उपेक्षा, भविष्य में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को ही नुकसान पहुँचाती है।

प्रमुख कारणों पर चर्चा करने के बाद यदि हम बढ़ते आतंकवाद की समस्या के निवारण पर आयें तो यह पायेंगे कि इस समस्या का निवारण उसके कारण में ही निहित है।

किसी भी साधन का प्रयोग करके हमें बढ़ती चरमपंथी और अतिवाद को रोकना होगा। विश्व के सभी प्रमुख देशों में राजनीतिक स्थायित्व भी आतंकवाद की समस्या को कुछ हद तक कम कर सकता है। साथ ही वैश्विक प्रगति अर्थात् अपने देश के साथ–साथ क्षेत्रवाद को भी समतुल्यता प्रदान करते हुये क्षेत्रीय सहयोग की संकल्पना को विकसित करना होगा।

वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक अधिवेशन में सबसे प्रमुख बिन्दु आतंकवाद ही रहता है, इसे सभी देशों को 'सर्वजन हिताय' के रूप में गृहीत करते हुए विश्व के कल्याण हेतु संकल्पित होना होगा।

विश्व बैंक, यूनिसेफ आदि के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी को नियंत्रित करना होगा, जिससे कोई भी युवा इन अभावों के कारण दिग्भ्रमित न हो व आतंकवाद के प्रसार का एक माध्यम न बने। कुछ प्रमुख विवादों जैसे भारत–पाकिस्तान व इजराइल– फिलीस्तीन जैसे मुद्दों का भी स्थायी एवं सर्व स्वीकार्य हल निकालने का प्रयत्न होना चाहिए, इससे भी आतंकवाद की समस्या कुछ हद तक अवश्य कम होगी।

अंत में बस यही कहा जा सकता है कि आतंकवाद सिर्फ किसी पर हमला करना या शारीरिक नुकसान पहुँचाना ही नहीं है, इसकी श्रेणियां वैचारिक अथवा बौद्धिक भी हो सकती है। किन्तु इन सभी का सर्वश्रेष्ठ हल अतिवाद से बचना ही है।

मनुष्यता का आधार दूसरों को साथ लेकर चलने में ही है, क्योंकि–

'यही पशु–प्रवृत्ति है कि आप–आप ही चरे,
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।

यदि उक्त भावना को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया तो निश्चित ही हम बढ़ते आतंकवाद पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। साथ ही विश्व के कल्याण के साथ–साथ हमारा प्यारा भारत पुनः जगद्गुरू के गौरव को प्राप्त करेगा।

(हिंदी पखवाड़ा में पुरस्कृत)

'हिंदी भारत की राजभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राष्ट्रभाषा भी होगी।'

- सी.राजगोपालाचारी

होम्योपैथी का विकास एवं भारत में वर्तमान स्थिति

हरिओम कुमार
अनुवाद अधिकारी
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

एक समय था जब मानव सभ्यता अत्यधिक निचले स्तर पर थी। रोटी, कपड़ा और मकान का संघर्ष ही बड़ा संघर्ष था। इससे अधिक मनुष्य की सोच नहीं थी। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र, सिनेमा जगत, इंजीनियरी, हवाई जहाज, चिकित्सा विज्ञान, शिक्षा की आधुनिक पद्धति, परिवर्तित संस्कृति एवं सामाजिक मान्यताएं आदि के आधुनिक स्वरूप का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती–बाड़ी के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले हल बैल, सिंचाई के लिए प्रयोग में आने वाली रेहट, रहने के लिए मिट्टी के बने घर, पहनने के लिए मोटे खुरदरे सूती वस्त्र, खाने के लिए मोटे अनाज और दूध दही, प्रदूषण मुक्त वातावरण, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति मात्र 50 वर्ष की अवधि में ही चकनाचूर हो गए हैं और बदले में मिला है पाश्चात्य देशों के अंधानुकरण का ऐसा प्रसाद जिससे मानव मूल्य गिरकर रसातल में पहुंच गए हैं। भारत एक विकासशील देश है और विकास का यदि यही क्रम चलता रहा तो विकसित भारत का जो चित्र दिखाई देगा वह बड़ा ही विचित्र और अद्‌भुत होगा।

भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर आधारित सभी चिकित्सा पद्धतियों से प्राचीन पद्धति है। भारत का इतिहास गवाह है कि भारत में ऐसे चिकित्सक रहे हैं जो केवल नब्ज देखकर ही 7 दिन के भीतर खाए पिए का ब्यौरा बता देते थे। नब्ज देखकर, सीना देखकर, आंख देखकर, नाखून देखकर और गंध सूंघकर टाइफाइड, टी.बी. कैंसर जैसे रोगों का डायग्नोसिस करना आम बात थी जोकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के एमडी की उपाधि धारक महाचिकित्सक भी नहीं कर पाते हैं। भारत में चिकित्सा के लिए अनादि काल से ही जड़ी बूटियों का भंडार रहा है। आयुर्वेद में इन्हीं जड़ी बूटियों से उपचार किए जाने की प्रथा रही जो लंबे समय तक भारतीयों को आरोग्य प्रदान करती रही। आयुर्वेद हमारे प्राचीन वेद में निहित सिद्धांतों पर आधारित है जिसके जनक महाराज चरक कहे जाते हैं और सर्जरी के जनक महाराज सुश्रुत कहे जाते हैं। आदर्श चिकित्सा पद्धति और सर्जरी दोनों विधाएं अनादि काल से भारत में विद्यमान थीं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वनस्पति, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। वैज्ञानिकों ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी है कि फूल पौधों को भी लगातार गाली गलौज या अपशब्द बोलते रहो तो वे 6 माह में कुंठित और बेजान हो जाते हैं। यही बात भारतीयों के साथ हुई। लगभग 300 वर्ष तक की यूरोपीय गुलामी और तिरस्कार के कारण भारतीयों की बुद्धि कुंठित होती चली गई। अपनी भाषा, संस्कृति एवं चिकित्सा पद्धति पर भारतीयों को ग्लानि होने लगी तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धति, अंग्रेजी भाषा एवं संस्कृति की ओर मोह पनपता गया और हीन भावना से ग्रसित होने के कारण भारतीय अपनी संस्कृति, भाषा एवं चिकित्सा पद्धति को हीन समझने लगे। यूरोपीय देशों ने भारतीयों की इसी मानसिकता का लाभ उठाकर भारत की कई औषधियों को अपने यहां पेटेंट करा लिया। गुलामी के कारण हम विकास की गति में भी पिछड़ गए।

आयुर्वेद के जनक महाराज चरक द्वारा रचित चरक संहिता के हिसाब से हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है (क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा–पंच तत्व से बना शरीरा) और इन पंचतत्व में विकार होने से वात, पित्त, कफ की समस्या उत्पन्न होती है जो बीमारी का कारण बनती है। इन्हीं त्रिदोषों को ठीक करना आयुर्वेद का सिद्धांत है। विश्व की सभी चिकित्सा पद्धतियां भारतीय चिकित्सा पद्धति के बहुत बाद ही उभर कर आई हैं। भारतीय चरक संहिता में ग्यारह सौ बीमारियों का वर्णन है और इनके उपचार के लिए हजारों औषधियों का उल्लेख है। प्राचीन भारत में इन्हीं दिव्य औषधियों से उपचार किया जाता था। रामायणकालीन और महाभारतकालीन युद्ध में योद्धाओं के घावों को ठीक करके प्रातः युद्ध के लिए तैयार करना इन दिव्य औषधियों का ही चमत्कार था।

407 ईसी के आसपास ग्रीक के कोस में हिप्पोक्रेटिस का जन्म हुआ। हिप्पोक्रेटिस का परिवार एक समृद्ध परिवार था। उस समय ग्रीक में अंधविश्वास की पराकाष्ठा थी और यह माना जाता था कि बीमारियां भगवान की वजह से होती हैं। हिप्पोक्रेटिस ने लोगों को बताया कि भगवान के कारण

बीमार नहीं होते हैं। उनके मतानुसार बीमारियां प्राकृतिक रूप से होती हैं और ह्यूमर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि चार ह्यूमर (द्रव) होते हैं अर्थात 1. यलो बाइल, 2. ब्लैक बाइल, 3. ब्लड और 4. फ्लेग्म अर्थात कफ। इन्हीं चार ह्यूमर (द्रवों) की विसंगति या न्यूनता या अधिकता से रोग उत्पन्न होते हैं। बढे हुए तत्व को बाहर निकालकर बीमारी को ठीक किया जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी बीमारी होने पर रक्त दूषित हो जाता था। दूषित रक्त को निकालना बेहतर उपचार समझा जाता था। रोगी के शरीर से रक्त चूसने के लिए जोंकें लगा दी जाती थीं। इसी चिकित्सा पद्धति को मॉडर्न, अंग्रेजी, आधुनिक, पश्चिमी चिकित्सा पद्धति, परंपरागत चिकित्सा पद्धति आदि नामों से जाना गया जो अंग्रेजी भाषा एवं पाश्चात्य सभ्यता की तरह पूरे विश्व में आदर्श चिकित्सा पद्धति के रूप में उभरी। इसके व्यापक स्वरूप और मान्यता के होते हुए भी इस पद्धति की कुछ सीमाएं एवं हानियां हैं तो कुछ विशेषता भी है। आधुनिक युग में रक्त निकालने की तरह सब कुछ निकाल बाहर करने की परंपरा इस पद्धति का अभिन्न अंग बन चुकी है।

डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन इसी मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक थे। उनका जन्म जर्मनी में 10 अप्रैल, 1755 को हुआ था। इनके पिता मिट्टी के बर्तन रंगकर अपनी आजीविका का निर्वाह करते थे। बालक निर्धन परिवार में उत्पन्न हुआ था परंतु बड़ा होनहार था। उसने बड़ी लगन से विद्या अध्ययन किया और 24 वर्ष की आयु में ही डाक्टरी में एमडी की उपाधि प्राप्त कर ली। उनकी पकड़ जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, अरबी आदि अनेक भाषाओं में थी और उनके पांडित्य को देखकर डॉक्टर रिक्टर कहा करते थे कि वह बालक दो सिर वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है। शिक्षा समाप्त करने के बाद 10 वर्ष तक हनीमैन प्रचलित पद्धति पर ही चिकित्सा करते रहे, परंतु प्रचलित चिकित्सा पद्धति पर सदैव इनका संदेह बना रहा। डॉक्टर हनीमैन जी ने सन 1810 में इस पद्धति को एलोपैथी नाम से पुकारा और तब से इसे एलोपैथी अर्थात विषम चिकित्सा पद्धति कहा जाने लगा। इस पद्धति पर इनकी निष्ठा नहीं जमी। डॉक्टर हनीमैन देखते थे कि कब्ज दूर करने के लिए दस्तावर दवा दी जाती है, जिससे पेट तो एकदम साफ हो जाता है परंतु उसके बाद पहले से ज्यादा कब्ज हो जाती है। दर्द दूर करने के लिए अफीम दी जाती है, परंतु उससे इलाज नहीं होता, दर्द सिर्फ दब जाता है। इनको रक्त निकालने की पद्धति भी रास नहीं आई। वे सोचते थे कि रक्त तो प्राणदायिनी शक्ति होती है, इसमें तो रोगी निर्बल हो जाता है, इससे वह ठीक कैसे हो सकता है। इसी मानसिक दुविधा में उन्होंने अपनी एलोपैथी की प्रैक्टिस बंद कर दी और रसायन शास्त्र तथा वैज्ञानिक पुस्तकों का अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद करके अपनी आजीविका का उपार्जन शुरू कर दिया। जिस पद्धति पर उनका विश्वास नहीं जमता था, उसे करते हुए वे कब तक अपनी आत्मा को शांति दे सकते थे।

वर्ष 1790 में वे डॉक्टर कलेन के अंग्रेजी मैटेरिया मेडिका का जर्मन भाषा में अनुवाद कर रहे थे। अनुवाद का विषय सिनकोना था। सिनकोना कुनीन का ही एक प्रकार है। सिनकोना के विषय में इस पुस्तक में कुछ परस्पर विरुद्ध बातें लिखी थीं। सिनकोना बुखार लाता भी है और इसे ठीक भी करता है। इन विरोधी बातों को पढ़कर उनके हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। यह विचार क्या था? यह विचार यह था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिनकोना रुग्ण व्यक्ति में बुखार को इसीलिए ठीक कर देता है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति में यह बुखार के लक्षण उत्पन्न कर देता है। जैसे न्यूटन ने वृक्ष के सेब को गिरते देखकर सोचना शुरू किया कि यह फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, इधर–उधर क्यों नहीं गया। यह सोचते सोचते उन्होंने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आविष्कार कर लिया और जेम्स वाट ने केतली के ढक्कन के गिरने और उठने से भाप के पहले इंजन का आविष्कार किया वैसे ही उक्त एक विचार ने कि "कहीं ऐसा तो नहीं कि सिनकोना बुखार को इसलिए ठीक कर देता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति में यह बुखार को उत्पन्न कर देता है," हनीमैन को विचार सागर में डुबो दिया और सोचते–सोचते इसी एक विचार ने होम्योपैथी को जन्म दिया।

होम्योपैथी का पहला सिद्धांत–समः समं शमयति है जिसका अर्थ है समान चीज ही समान चीज को काटती है। इसके विपरीत एलोपैथी का सिद्धांत स्पष्ट है। शरीर में जो रोग हो जाए, उससे विरोधी अवस्था को शरीर में उत्पन्न करके रोग को दूर करना एलोपैथी है। दस्त आते हों तो, दस्तों को बंद करने वाली दवा, और कब्ज हो, तो दस्त लाने वाली दवा देनी चाहिए। इस सिद्धांत को विषमोपचार (Contraria Contraris) कहते हैं। यही प्रचलित पद्धति है, और मोटी

बुद्धि से यही बात समझ में ठीक लगती है। डॉक्टर हनीमैन जी ने इससे विरुद्ध सिद्धांत का आविष्कार किया। उन्होंने जिस सिद्धांत का पता लगाया वह था समोपचार। संस्कृत में इसे समः समं शमयिति और अंग्रेजी में इसे Similia Similibus Curantur कहते हैं।

होम्योपैथी का सिद्धांत यह है कि स्वस्थ शरीर में औषधि रोग के जिन लक्षणों को उत्पन्न करती है, किसी भी रोग में भले ही उसका नाम कुछ भी हो, अगर वे लक्षण पाए जाएं, तो वही औषधि उस रोग को और उन लक्षणों को दूर करेगी। उदाहरण के लिए, स्वस्थ शरीर में संखिया (आर्सेनिक) बेचैनी पैदा करता है, थोड़ी–थोड़ी देर में प्यास पैदा करता है, और इसी तरह के अनेक लक्षण पैदा करता है। होम्योपैथी का सिद्धांत यह है कि अगर रोग में ये लक्षण पाए जाएं, तो इन लक्षणों को आर्सेनिक दूर कर देगा। ऐसे लक्षण हैजा में हो सकते हैं, सिर दर्द, पेट के अल्सर में हो सकते हैं या फिर जुकाम में हो सकते हैं अथवा नींद न आने में, बुखार में अर्थात किसी भी रोग में हो सकते हैं। हनीमैन का कहना है कि हमें रोग के नाम से कोई मतलब नहीं, रोग कुछ भी हो, अगर किसी भी प्रकार के रोग में वे लक्षण पाए जाएं जो औषधि ने स्वस्थ व्यक्ति में उत्पन्न किए हैं, तो वह औषधि उन लक्षणों को दूर कर देगी और जब ये लक्षण दूर हो जाएंगे तव रोग अपने आप नहीं रहेगा। संक्षेप में होम्योपैथी का यही सिद्धांत है और यह होम्योपैथी का पहला सिद्धांत है।

होम्योपैथी का दूसरा सिद्धांत शक्तिकरण का सिद्धांत है। शुरू–शुरू में हनीमैन सम–सिद्धांत के अनुसार तो दवा देते थे, परंतु नक्स वॉमिका 4 ग्रेन, सिनकोना 2 ग्रेन आदि के रूप में एलोपैथिक ढंग से ही औषधि की मात्रा देते थे। इससे उन्होंने अनुभव किया कि रोग के अच्छा हो जाने पर भी शुरू में रोग कुछ बढ़ जाता है। इस रोग को दूर करने के लिए उन्होंने औषधि की मात्रा घटानी शुरू की। उन्हें यह अनुभव हुआ कि औषधि की मात्रा घटाने पर उसकी रोग को दूर करने की शक्ति बढ़ जाती है। औषधि की मात्रा स्थूल रूप में कहां तक कम की जा सकती थी। इसके लिए उन्होंने दो माध्यमों का सहारा लिया। एक माध्यम था– दूध की शर्करा (Sugar of milk) और दूसरा था अल्कोहल। औषधि के अंश को कम करने के लिए दूध की शर्करा में

जब उसे इकसार करने के लिए उसका मर्दन किया जाता था, या जब औषधि को उसका अंश कम करने के लिए अल्कोहल में डालकर जोर जोर से हिला कर मिलाया जाता था, तब डॉक्टर हनीमैन ने अनुभव किया कि मर्दन और अल्कोहल में डालकर जोर से आलोड़न (Succussion) करने से औषधि की कार्य शक्ति भी बढ़ जाती है। जैसे प्रथम सिद्धांत को क्रिया रूप देने के लिए उन्होंने औषधि परीक्षा अथवा औषधि सिद्धि की पद्धति को जन्म दिया, वैसे ही मर्दन तथा आलोड़न से औषधि की शक्ति बढ़ जाती है–इस द्वितीय सिद्धांत को क्रिया रूप देने के लिए उन्होंने औषधियों की शक्ति बढ़ाने की निम्न पद्धति को जन्म दिया जिसमें औषधि की मात्रा कम होती जाती है किंतु उसकी रोग को दूर करने की शक्ति बढ़ जाती है।

वर्ष 1796 में अस्तित्व में आई आदर्श चिकित्सा पद्धति–होम्योपैथी अन्य देशों के साथ साथ भारत मां भी बड़े पैमाने पर अपनाई जा रही है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि होम्योपैथी में लक्षणों के अनुसार औषधि दी जाती है और संसार का ऐसा कोई रोग नहीं जिसमें लक्षण प्रकट नहीं होते हों। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि होम्योपैथी में उन सभी रोगों का सफल और बिना कोई नुकसान पहुंचाए उपचार संभव है जो मानव जाति को हो सकते हैं और होम्योपैथी में लक्षण ही डायग्नोसिस है। मानव ही नहीं पशु पक्षियों पर भी इसका चमत्कारिक प्रभाव है। अतः कहा जा सकता है कि होम्योपैथी में समस्त प्राणी जात का उपचार करने की शक्ति है और इसमें साइड इफेक्ट न के बराबर हैं। जबकि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में किसी भी रोग का जड़ से कोई उपचार नहीं होता है बल्कि रोगों को दबा दिया जाता है और साथ में अन्य अनेक रोगों का जन्म हो जाता है। यहां प्रश्न उठता है कि यदि एलोपैथी में कोई उपचार नहीं होता है और रोगों को सिर्फ दबा दिया जाता है, तो रोग किस प्रकार ठीक हो जाते हैं। रोग ठीक होते हैं व्यक्ति की अपनी जीवनी शक्ति के कारण। हाल ही में विश्व में आई वैश्विक महामारी का दंश सभी ने झेला है। बड़ी तादाद में मौतें हुई हैं। देश को जान और माल की भारी क्षति की त्रासदी झेलनी पड़ी है जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में अटूट विश्वास का परिणाम है। यदि लोगों का यही विश्वास होम्योपैथी पर रहा होता, तो जान माल की इतनी क्षति नहीं झेलनी पड़ती। भारतीय जनता को एलोपैथी की खामियों को समझना होगा और आने वाले किसी भी भावी

संकट के लिए स्वयं को तैयार करके होम्योपैथिक सिस्टम की शरण में जाना होगा। कोविड–19 की बीमारी अनेक पोस्ट प्रभाव देकर गई है। किसी को पथरी, किसी को शुगर, किसी को आंख की समस्या, किसी को हड्डियों में दर्द, किसी को किडनी समस्या इस एलोपैथी दवाइयों के ही दुष्परिणाम हैं।

वैसे तो भारत में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है फिर भी होम्योपैथी को भारत सरकार की ओर से समर्थन देने और व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इसके साथ–साथ एलोपैथी के गुण दोषों के बारे में और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में आम जनता में जागरूकता फैलाना परम आवश्यक है। सामाजिक स्तर पर भी लोगों को जानकारी देने का कार्य किया जाना चाहिए। कई ऐसे एक्सीडेंटल केस होते हैं जिनके उपचार के लिए एलोपैथिक दवाई ली जा सकती हैं। लेकिन होम्योपैथी को मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाए जाने की आवश्यकता है। गौण चिकित्सा पद्धति के रूप में एलोपैथिक सिस्टम को अपनाया जा सकता है।

होम्योपैथिक सिस्टम के प्रति लोगों की रुचि कम होने और इसकी शरण में नहीं जाने की सबसे बड़ी वजह लोगों की यह धारणा है कि होम्योपैथी धीरे–धीरे कार्य करती है। यह धारणा एलोपैथिक सिस्टम के पक्षधर एवं इसके चिकित्सकों द्वारा अपने व्यवसाय की प्रगति के लिए फैलाई गई मिथ्या धारणा है। जबकि सत्य तो यह है कि होम्योपैथिक औषधियां शक्तिकृत होने के कारण बिजली की गति से काम करती हैं जबकि एलोपैथिक दवाइयां पहले शरीर में जाकर घुलती हैं और फिर पचती हैं, तब जाकर अपना असर दिखाती हैं। मोटी बुद्धि से यह माना जाता है कि होम्योपैथिक औषधियां बिजली की गति से तो असर करती हुई नहीं देखी जाती हैं। यहां सर्वप्रथम होम्योपैथिक औषधियों की प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि यदि रोग रूपी किसी वृक्ष को हटाना हो, तो एलोपैथिक सिस्टम द्वारा तत्काल उस वृक्ष की टहनियों, पत्तियों, तने आदि को काटकर अलग कर दिया जाएगा जिसके प्रभाव शीघ्र ही सामान्य आंखों से देखे जा सकते हैं किंतु वृक्ष की जड़ नहीं उखाड़े जाने के कारण उस वृक्ष के पनपने की सदैव आशंका बनी रहेगी। किंतु होम्योपैथिक पद्धति से इस वृक्ष को हटाने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा ऐसी जमीन तैयार की जाएगी कि उक्त वृक्ष उस जमीन में खड़ा नहीं रह सके और अपने आप उखड़ जाए। इसी का नाम होम्योपैथिक सिस्टम है जो एलोपैथिक सिस्टम से एकदम भिन्न है। एक पद्धति में वृक्ष की जड़े नहीं हटाई गईं और उसके पनपने की संभावना सदैव बनी रहेगी जबकि होम्योपैथिक सिस्टम से रोग जड़ से उखड़ जाएगा।

दूसरी बड़ी वजह यह है कि एक बार होम्योपैथी की शरण में आने के बाद व्यक्ति अज्ञानता के कारण इस उपचार को बीच में ही छोड़ देता है। बीच में उपचार छोड़ देने की वजह इस पद्धति में रोग के लक्षणों में वृद्धि होना है जिसे रोगी समझता है कि होम्योपैथिक औषधियों से रोग बढ़ गया है। रोग वृद्धि के कारण फायदे की जगह नुकसान समझकर बीच में इसे छोड़ देता है। इस विषय में होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा भी रोगी को रोग वृद्धि के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है इसलिए रोगी जानकारी के अभाव होम्योपैथिक उपचार को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि जनता को होम्योपैथिक सिस्टम एवं एलोपैथिक सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए साथ ही चिकित्सकों को भी होम्योपैथिक सिस्टम की बारीकियों की जानकारी प्रदान की जाए।

यहां होम्योपैथी की सिफारिश इसलिए की जा रही है क्योंकि समस्त आयुर्वेदिक औषधियों की होम्योपैथिक सिस्टम से ड्रग बनाई जा सकती है और उनको शक्ति के रूप में दिया जा सकता है जबकि आयुर्वेद में भी औषधियों को स्थूल रूप में ही दिया जाता है। इसी गुण के आधार पर होम्योपैथी आयुर्वेद से श्रेष्ठ हो सकती है, अन्यथा आयुर्वेद एवं होम्योपैथी दोनों समान पद्धतियां हैं जिनमें से एक में औषधियों की स्थूल मात्रा दी जाती है और दूसरे में औषधियों की शक्तिकृत मात्रा दी जाती है। होम्योपैथिक पद्धति का अविष्कार भले ही जर्मन में हुआ हो, लेकिन यह हमारे भारतीय सिद्धांत– **''विष ही विष को मारता है''** और **''लोहा ही लोहे को काटता है''**– के सर्वथा अनुकूल होने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति ही है। यदि हमें भावी पीढ़ी को बीमारियों के कहर से बचाना है तो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की शरण लेनी होगी।

विद्युत ऊर्जा बचाने के कुछ सरल उपाय

अजय कुमार श्रीवास्तव
सहा.अधि.अभि.(विद्युत), एच.आर.आई., प्रयागराज

वैसे तो हम सभी की जिंदगी, आधुनिक उपकरणों के उपयोग करने में ही जा रही है, शायद आप सभी इस बात से भली–भांति अवगत होंगे कि हमारे कुल विद्युत खर्च का 30% विद्युत का उपयोग घरेलू कार्यों (डोमेस्टिक सेक्टर) में किया जाता है। हम सभी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बहुत सारे विद्युत उपकरणों को उपयोग करने लगे हैं, परंतु हम अगर थोड़ी सतर्कता बरतें तो अपने विद्युत व्यय को काफी मात्रा में कम करके देश की प्रगति में सहायक बन सकते हैं।

मेरे द्वारा दिया गया विवरण एक मार्गदर्शिका हो सकता है। आसान और व्यावहारिक तरीका यह होगा कि हम घरों में बिजली कैसे बचा सकते हैं। यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि कौन सा उपकरण, कितनी बिजली की खपत करता है।

उपकरण के नाम	उसका दर (वॉट में)	उपयोग प्रतिदिन (घंटे में)	यूनिट/महीना
बल्ब	40	6	7
	60	6	11
ट्यूबलाइट	40	10	12
नाइट बल्ब	15	10	4.5
पंखा	60	15	27
एयर कूलर	175	8	42
एयर कंडीशन	1500	6	270
फ्रीज	225	15	101
मिक्सर	450	1	13.5
टोस्टर	800	0.5	12
हॉट प्लेट	1500	0.5	22.5
ओवेन	1000	1	30
विद्युत केटली	1500	1	45
विद्युत आइरन	1500	1	45
वाटर हीटर इंस्टेंट	3000	1	90
वाटर हीटर स्टोरेज	2000	1	60
इमर्सन राड	1000	1	30
वैक्युम क्लीनर	700	0.5	11
वाशिंग मशीन	300	1	9
वाटर पम्प	750	1	22.5
टेलीविजन	100	10	30
ऑडियो सिस्टम	50	2	3
मोरक्युटो रेप्लांट	5	10	1.5

उपयोगी तरीके

लाइट

- ❖ उपयोग न होने पर लाइट बंद करके रखें।
- ❖ प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें।

- ❖ लाइट को नियमित रूप से साफ करें जिससे रोशनी अधिक मिले।
- ❖ टास्क लाइट का उपयोग करें जिससे ऊर्जा का सही उपयोग हो।
- ❖ साधारण बल्ब व ट्यूबलाइट की तुलना में एलईडी लाइट 5–6 गुना कम बिजली खपत करती है।
- ❖ इलेक्ट्रॉनिक चोक वाले फिटिंग का उपयोग करें।

पंखे

- ❖ पारंपरिक रेगुलेटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का प्रयोग करें।
- ❖ एग्जॉस्ट पंखे को सामान्य पंखे से ऊपर की ऊंचाई पर लगाएं।

विद्युत आयरन

- ❖ आयरन खरीदते समय स्वचालित बंद तापमान वाले आयरन ही खरीदें।
- ❖ आयरन का उपयोग आवश्यकता के अनुरूप रेगुलेटर को सेट करके करें।
- ❖ आयरन करते समय कपड़े पर अधिक पानी का प्रयोग न करें।
- ❖ गीले कपड़े को आयरन न करें।

किचन उपकरण

- ❖ मिक्सर का प्रयोग न करके गीले ग्राइंडर का प्रयोग करें। यह सूखे ग्राइण्डर से कम समय लेता है।

माइक्रोवेव ओवेन

- ❖ यह पारंपरिक विद्युत उपकरणों की तुलना में 50 प्रतिशत कम विद्युत ऊर्जा की खपत करता है।
- ❖ माइक्रोवेव ओवेन के दरवाजे को बार–बार न खोलें, ऐसा करने से हर बार 25 डिग्री सेल्सियस तापमान ड्रॉप होता है।

विद्युत स्टोव

- ❖ समतल (फ्लैट) सतह वाले बर्तन का उपयोग करें।
- ❖ स्वचालित स्विच का प्रयोग उपयोगिता के आधार पर सेट करके रखें।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

- ❖ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के स्विच को उपयोग न होने की स्थिति में बंद करके रखें। इससे प्रति उपकरण आप 10 वॉट विद्युत की बचत कर सकते हैं।

कंप्यूटर उपकरण

- ❖ उपयोग न होने की स्थिति में कंप्यूटर को बंद करके रखना चाहिए। कंप्यूटर 24 घंटे चलाने की स्थिति में यह एक रेफ्रीजेरेटर से अधिक ऊर्जा की खपत करता है।
- ❖ कंप्यूटर, मॉनिटर और कॉपियर को स्लीप मोड में सेट करके रखने से आप लगभग 40% ऊर्जा बचा सकते हैं।
- ❖ यदि आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन भी रहता है तो उस स्थिति में भी मॉनिटर को बंद करके रखने से आप उसके कुल खपत का 50% ऊर्जा बचा सकते हैं।
- ❖ लैपटाप, मोबाइल और डिजिटल कैमरा जैसे उपकरणों के चार्जर को उपयोग न होने की स्थिति में प्लग से निकाल कर रखने से आप ऊर्जा बचा सकते है।
- ❖ कई लोग बताते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर में स्क्रीनसेवर उपयोग करके ऊर्जा की बचत करताध्करती हूँ, परन्तु यह सत्य से परे है। स्क्रीन सेवर आपके कंप्यूटर के स्क्रीन को सेव करता है न कि ऊर्जा को।

रेफ्रिजरेटर

- रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर को नियमित रूप से डी–फ्रिज करके आप ऊर्जा की बचत कर सकते हैं।
- रेफ्रिजरेटर में सामान रखते समय यह ध्यान रखें कि सामान और रेफ्रिजरेटर के दीवार में पर्याप्त जगह खाली रहे जिससे हवा का घुमाव रेफ्रिजरेटर के चारों तरफ होता रहे।
- अपने रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर को अधिक ठंडा न रखें।
- रेफ्रिजरेटर को हमेशा एयर टाइट बंद रखना चाहिए, इससे ऊर्जा की बचत होती है।
- तरल सामानों को, खाने वाले सामानों को कवर करके फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिये, खुला खाने–पीने का सामान अधिक नमी छोड़ता है जिससे कंप्रेसर के ऊपर अधिक भार पड़ता है।
- रेफ्रिजरेटर को बार–बार नहीं खोलना चाहिए, ऐसा करने से ठंड हवा बारह निकल जाती है।
- बार–बार उपयोग होने वाले सामानों के लिए छोटे कैबिनेट का प्रयोग करें।
- गर्म और खौलते सामानों को फ्रीज में नहीं रखना चाहिए।

कपड़े धोने की मशीन

- मशीन का उपयोग हमेशा उसकी क्षमता के अनुसार करें।
- आवश्यक मात्रा में पानी का उपयोग करना चाहिए।
- मशीन के टाइमर का उपयोग करके ऊर्जा की बचत की जा सकती है।
- सही मात्रा में डिटर्जेंट का प्रयोग करें।
- बहुत गंदे कपड़े के लिए गर्म पानी का प्रयोग करें।
- कपड़े खँगालने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए।

वातानुकूलनः (एयर कंडीशनर)

- ऐसे एयर कंडीशनर का चयन करें जिसमें स्वचालित रेगुलेटर हो, जो उपयोग के आधार पर मशीन को बंद कर देता है और ऊर्जा की बचत करता है।
- रेगुलेटर को हमेशा निम्न ठंड क्षमता पर रखकर चलायें।
- साधारण पंखे का भी उपयोग ए.सी. के साथ करने से कमरे में हवा का पूर्ण विस्तार होता है।
- कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को पूर्ण रूप से बंद करके रखना चाहिए जिससे ठंडी हवा बाहर न निकले।
- खिड़की के शीशे में सूर्य की रोशनी रोकने वाले फिल्म का प्रयोग ऊर्जा बचाने में सहायक होता है।
- ए.सी. के थर्मोस्टेट को गर्मियों में उच्च क्षमता पर निर्धारित रखें, जिससे बाहरी और भीतरी तापमान में कम अंतर रहे। इससे ऊर्जा की खपत कम होगी।
- अपने ए.सी. के पास किसी भी तरह के लैम्प अथवा टीवी सेट को न रखें। टीवी या लैम्प को पास रखने से थर्मोस्टेट उसकी गर्मी को सैन्स करता है जिससे ए.सी. को उसकी आवश्यकता से अधिक देर तक चलाना पड़ता है।
- अपने ए.सी. के पास अगर आप हरे–भरे पेड़ लगा कर रखें तब भी आप 10% तक ऊर्जा की बचत कर सकते है, परंतु यह ध्यान रहे कि ए.सी. उन पेड़ों से ढ़का न हो।

भारतीय ज्ञान परम्परा और भारतीय भाषाएँ

विकास कुमार सोनी
वरिष्ठ सहायक
एम.एन.एन.आई.टी.इलाहाबाद

भारतीय ज्ञान परम्परा से तात्पर्य पूर्व से चली आ रही ऐसी अवधारणा, विचारधारा अथवा व्यवस्था से है जिसमें प्राचीन के साथ अर्वाचीन, आधुनिकता का सम्मिलन होता चला जाता है अर्थात निरंतर चले आ रहे कार्य, रीति–रिवाज, विचार धारा को परंपरा के नाम से जाना जाता है।

भारतीय संस्कृति में प्राचीनकालीन गुरू से शिष्य के मध्य की जाने वाली ज्ञान–पद्धति को परंपरा का नाम दिया गया है।

भारतीय ज्ञान परंपरा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग वैदिक साहित्य एवं संस्कृति ही रही है। 6000 ई.पू. से 800 ई.पू. तक वैदिक साहित्य के विकास काल का निर्धारण किया जाता है। भारती ज्ञान परम्परा में शिक्षा प्रणाली में नैतिकता के मूल्यों को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया साथ ही भौतिक व वैदिक मूल्यों को भी प्रमुखता दी गई है। गुरूकुल व विश्वविद्यालयों का सृजन कर, प्राचीन काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। भारत में तक्षशिला, नालंदा, काशी, विक्रमशिला व वस्तसी आदि सनातन संस्कृति के विश्वविख्यात शिक्षा व अनुसंधान केन्द्र थे। इसमें न केवल भारतीय वरन् विश्व के अनेक राष्ट्रों के छात्र व शोधार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। भारत को 'विश्व गुरू' की संज्ञा से अभिकृत किया जाता था।

गुरूकुल शिक्षण के अंतर्गत गुरू शिष्यों को अठ्ठारह विधाओं में ज्ञानोपदेश देते, जो इस प्रकार हैः–

- चार वेद – ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
- छः वेदांग – शिक्षा, कल्प, छन्द, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष।
- चार उपवेद – आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद, शिल्पवेद।
- मीमांसा –
- न्याय –
- अट्ठारह पुराण –
- धर्मशास्त्र –

शिक्षा ग्रहण काल में शिष्य द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन का नियम रखा गया था। ज्ञान व शारीरिक विकास दोनों पर ही वैदिक शिक्षा प्रणाली में मुख्यरूप से महत्व दिया गया। सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा का उद्देश्य – धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में समाहित किया गया। मनुष्यता के संस्कार प्रदान कर मानव को पशुवत आदि व्यवहार से मुक्त करना ही भारतीय ज्ञान परंपरा का सर्वोच्च उद्देश्य रहा।

प्रथम महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित 'रामायण' उनके शिष्यों द्वारा सम्पूर्ण दिशाओं में प्रचारित–प्रसारित की गई।

अब नई शिक्षा नीति गहनता से इन विसंगतियों से रूबरू होते हुए विषयगत, प्रक्रियागत और संरचनागत बदलाव की दिशा में अग्रसर हो रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृत समेत सभी भारतीय भाषाओं के लंबे समय से ध्यानाकर्षण का केंद्र न होने के बाद, आज नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं/मातृभाषाओं में शिक्षा का विशेष पक्षधर है ताकि विद्यार्थिओं का सर्वांगीण विकास हो एवं भारतीय भाषाएं पल्लवित–पुष्पित हो सकें।

''राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात सबसे अच्छी
मातृभाषा में ही हो शिक्षा बात इसकी अनूठी।''

भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है, परन्तु सरकारी कामकाज में व्यवहार में लायी जाने वाली दो भाषायें है, हिंदी और अंग्रेजी। भारत में द्विभाषी वक्ताओं की संख्या 31.49 करोड़ है।

भारत की मुख्य विशेषता यह है कि यहां विभिन्नता में एकता है। भारत में विभिन्नता का स्वरूप न केवल भौगोलिक है बल्कि भाषायी तथा सांस्कृतिक भी है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 राष्ट्रीय भाषाओं का समावेश है जबकि संविधान लागू होते समय इसमें केवल 14 भाषाओं को ही मान्यता दी गई थी तत्पश्चात 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को तथा 71वीं संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। बाद में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में चार नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को भी शामिल किया गया। इस प्रकार अब संविधान में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी सहायक भाषा है तथा इन 22 भाषाओं को बोलने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 90% है। भारत में कुल मिलाकर 58 भाषाओं को स्कूलों में सिखाया जाता है। संविधान की आठवीं अनुसूची में जिन भाषाओं का उल्लेख किया गया है उन्हें राष्ट्रीय भाषाओं की संज्ञा दी गई है।

हर एक देश की पहचान उस देश की भाषा, और संस्कृति से होती है। किसी भी देश की राष्ट्र–भाषा अहम भूमिका निभाती है।

हिंदी भाषा हमारे देश भारत के सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की प्रतीक है। हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर आती है। भाषा भावों की वाटिका और विचारों की माध्यम होती है, अतएव किसी भी जाति अथवा राष्ट्र की भावोत्क्रम और विचारों की समर्थता उसकी भाषा से स्पष्ट होती है, जब से मनुष्य ने इस भूमंडल पर होश संभाला है, तभी से इसका महत्व है।

भारत में इतनी सारी भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती है कि इसे प्रायः 'भाषाओं का संग्रहालय' कहा जाता है। एक भाषाई राज्य दूसरे भाषाई राज्यों के बीच अंतर–संबंधों की संभावना को नहीं रोकता है। भाषाई बहुलवाद आधुनिक भारतीय राज्य की एक विशिष्ट विशेषता बनी हुई है। यह मानना गलत न होगा कि भारत वर्तमान भाषाई मानचित्र स्वाभाविक रूप से इन विकासों का एक उत्पाद है।

(भारती भाषा उत्सव में प्रशंसनीय लेख)

'यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ, जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि
हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है।'

- लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को **100%** 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को **100%** 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को **65%** 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **100%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को **90%** 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को **90%** 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को **55%** 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **90%** के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को **55%** 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को **55%** 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को **55%** 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **55%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	**100%**	**100%**	**100%**
3.	हिंदी में टिप्पण	**75%**	**50%**	**30%**
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	**70%**	**60%**	**30%**
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	**80%**	**70%**	**40%**
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	**65%**	**55%**	**30%**
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	**100%**	**100%**	**100%**
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	**100%**	**100%**	**100%**
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	**50%**	**50%**	**50%**
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	**100%**	**100%**	**100%**
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	**100%**	**100%**	**100%**
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	**100%**	**100%**	**100%**

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	**25% (**न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)	**25% (**न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	**25% (**न्यूनतम)	**25% (**न्यूनतम)	**25% (**न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	**100%**	**100%**	**100%**
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	**40%**	**30%**	**20%**

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति द्वारा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र प्रयागराज का निरीक्षण
दिनांक 03 जनवरी, 2023

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति द्वारा हरीशचन्द्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज का निरीक्षण
दिनांक 04 जनवरी, 2023

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
प्रयागराज-211004